स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–23, अंक–8
आषाढ-II – श्रावण 2072, अगस्त 2015

संपादक
विक्रम उपाध्याय

पृष्ठ सज्जा एवं टंकन
सुदामा दीक्षित

कार्यालय
धर्मक्षेत्र, सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग
रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022
से प्रकाशित
दूरभाष : 011–26184595
स्वदेशी जागरण समिति की ओर से ईश्वर दास महाजन द्वारा कॉम्पीटेंट बाइन्डर्स (प्रिंटिंग यूनिट), नवीन शाहदरा, दिल्ली–32 से मुद्रित।

पाठकनामा/उन्होंने कहा 4
समाचार परिक्रमा 34-37

कवर तृतीय पेज 39
कवर चतुर्थ पेज 40

अनुक्रम

आवरण कथा – पृष्ठ–6

अंधनिजीकरण: ईलाज या बीमारी!

आज की परिस्थितियां निजीकरण 'एकमेव उपाय सिद्धांत' रूपी सोंच का ही भयंकर परिणाम है.....

1 कवर पेज
2 कवर द्वितीय पेज
09 **शब्दांजलि**
एपीजेः राष्ट्र रहेगा सदा ऋणी
.....एस.गुरूमूर्ति
12 **चिंतन**
विकास का तार्किक परिणाम बेरोजगारी!
..... डॉ. भरत झुनझुनवाला
14 **ज्वलंत मुद्दा**
विकास विरोधी कांग्रेस का अड़ंगा
..... सुदेश वर्मा
16 **प्रतिक्रिया**
मौसरे भाइयों की रिश्वतखोरी!
..... डॉ. वेदप्रताप वैदिक
17 **विश्लेषण**
सुखद है गौ मांस के निर्यात पर प्रतिबंध
..... डॉ. अश्वनी महाजन
21 **आतंकवाद**
'मानवाधिकारियों' की बौखलाहटः पंजाब व कश्मीर की सुरक्षा कसौटी पर
..... विष्णु गुप्ता
23 **अध्ययन**
दवाओं के दुष्प्रभाव की चुनौती
.....निरंकार सिंह
25 **नीति**
भारत का बदलता स्वरूप कितना सार्थक!
..... डॉ. जयप्रकाश मिश्र
27 **कृषि**
राष्ट्रीय कृषि बाजार की अभिकल्पनाः अंतर्विरोधों से निकलने का मार्ग
..... विजय सरदाना
29 **रोजगार**
स्किल इंडियाः रोजगारपरक कौशल विकास का महाअभियान
..... ज्ञानेंद्र नाथ बरतरिया
31 **खेतीबाड़ी**
किसानों की खुशहाली देने का मिशन है मृदा सेहत कार्ड
.....जे.सुनील

पाठकनामा

आर्थिक फैसलों में देरी से भारी नुकसान

संसद में गतिरोध के कारण सरकार आर्थिक फैसले नहीं ले पा रही है। जीएसटी, भूमि अधिग्रहण कानून और अन्य कई वित्तीय मामलों के विधेयक संसद में लटके पड़े हैं। एक तरफ देश में व्यवसायी वर्ग परेशान है, तो दूसरी तरफ समुचित रोजगार नहीं मिलने के कारण अब आम आदमी भी हलकान हो रहा है। ऐसे में सरकार को किसी भी तरीके से आर्थिक फैसलों में त्वरित निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा आर्थिक व्यवस्था और खराब हो सकती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां यह तो चाहती ही हैं कि मोदी सरकार असफल दिखें, लेकिन सरकार का दायित्व है कि ऐतिहासिक जनमत का भरोसा ना टूटे। लोगों को काम मिले, देश की आर्थिक विकास दर वास्तविक रूप में बढ़े, किसानों और मजदूरों को उनके संसाधनों एवं उनकी मजदूरी के हिसाब से उचित पारिश्रमिक मिले और रोजगार के अवसर अधिक से अधिक पैदा किए जाए। अन्यथा पांच साल बितने के बाद भी हम यहीं खड़े रहेंगे, तो जनता मायूस हो जायेगी।

प्रवीन दीक्षित, *बागपत, उ.प्र.*

आतंकी को शीघ्र दण्ड ही उचित

सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले के तहत 13 मार्च 1993 को हुए मुंबई ब्लास्ट की आतंकी साजिश में शामिल व हिरासत में लिए याकूब मेमन का 30 जुलाई 2015 को नागपुर की सेंटर जेल में फांसी पर लटका दिया गया। याकूब मेमन और ग्यारह अन्य आतंकियों को स्पेशल टाड़ा कोर्ट के फैसले के तहत जुलाई 2007 में फांसी दी जानी थी। इन पर मुंबई में दर्जनों विस्फोट करने का इल्जाम था, जिनमें हजारों लोग जख्मी हुए और 257 की मौत हो गई थी।

देर से ही सही मुंबई धमाके में मारे गए मासूम लोगों को कुछ तो इंसाफ मिला। भारत आज भी शांतिप्रिय व न्यायप्रिय देश है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि देश पर आतंकियों के हमलों को कुछ लोगों की बेजा दलील पर यूं ही छोड़ दिया जाए, जैसा कि आतंकी हमलों से हजारों की संख्या में निर्दोष लोग मारे जाते है, बच्चे अनाथ हो जाते है और लोगों के दिलों में दहशत बनी रहती है। इस प्रकार के मुकदमे में इतना या इससे अधिक समय लेना, कहां का न्याय है?

रजनी मोहन महाजन, *मयुर विहार, दिल्ली*

आवश्यक नहीं कि इस अंक के भीतर प्रस्तुत लेखकों के विचार स्वदेशी पत्रिका के संपादक मंडल के विचारों से मेल खाते हों। पाठकों की जानकारी के लिए उन्हें यहां प्रस्तुत किया जा रहा है।

संपादकीय कार्यालय

''धर्मक्षेत्र'' शिव शक्ति मन्दिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

दूरभाष : 011–26184595 • ई–मेल : swadeshipatrika@rediffmail.com

अगर आप घर बैठे स्वदेशी पत्रिका चाहते हैं तो डिमांड ड्राफ्ट, मनीऑर्डर अथवा चेक द्वारा शुल्क *'स्वदेशी पत्रिका'* दिल्ली के नाम भेजने का कष्ट करें।

वार्षिक सदस्यता शुल्क : 150 रुपए

आजीवन सदस्यता शुल्कः 15,00 रुपए

यदि शुल्क भेजने के उपरांत भी आपको पत्रिका समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो तुरंत पत्रिका कार्यालय को सूचित करें।

या आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. 602510110002740

IFSC : BKID 0006025 (Ramakrishnapuram)

उन्होंने कहा

भारत रत्न

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

के अनमोल वचन

यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा।

———————

अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुन्दर–मन वाले लोगों का देश बनाना है तो, मेरा दढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के तीन प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं– पिता, माता और गुरु।

———————

अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा।

———————

किसी भी धर्म में किसी धर्म को बनाए रखने और बढाने के लिए दूसरों को मारना नहीं बताया गया।

———————

इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी हैं।

संपादकीय

हम कितने हुए स्वाधीन?

हम स्वाधीन भारत के 69वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। एक राष्ट्र के रूप में यह अवधि कोई बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उपलब्धियों के आकलन के लिए यह समय कम भी नहीं। आजादी के तुरंत बाद अर्थव्यवस्था का हमने जो मॉडल अपनाया उससे देश में उद्योग–धंधे तो खड़े हुए लेकिन निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कुछ विशेष उपलब्ध नहीं कर पाए। लगभग 50 साल तक एक तिहाई से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे बने रहे। इस बीच सरकारें तमाम पंचवर्षीय योजनाएं, 20 सूत्रीय कार्यक्रम एवं समय–समय पर गरीबी हटाओ, जैसे नारे लगाकर जनता को भरमाती रही। 1991 में विकसित देशों की तरफ से निजीकरण की वकालत ने भारत का रूख भी बदल दिया और हम निजीकरण की तरफ बढ़ चले। 25 साल के निजीकरण का परिणाम नकारात्मक ही मिला। संसाधनों के बटवारे में गरीबों का हिस्सा ओर कम होता चला गया और अमीरों की संख्या बढ़ती चली गई। देश में इस समय 55 लोग अरबपति हो गए और करोड़ों लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आ गए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा किए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला कि दरअसल 25 साल के इस उदारीकरण में हमने गरीबों को और गरीब बना दिया। इनके लिए स्वाधीनता का मतलब आज भी दो रोटी के लिए दूसरे की चाकरी ही रह गया है। इसी सर्वे के अनुसार गांवों में रहने वाले 30 प्रतिशत से अधिक लोगों के पास खेती के लिए अपनी जमीन तक नहीं है। अगर सचमुच स्वाधीनता का पर्व उल्लास के साथ मनाना है तो इस वर्ग के लिए जमीन और रोजगार की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। अब भारत के उद्योग धंधे चंद लोगों के हाथों में सिमटकर रह गए हैं। कुछ घरानों तक ही उदारीकरण का फल पहुंचा है। चिंता सिर्फ चंद लोगों के हाथों में उद्योग धंधों पर वर्चस्व को लेकर नहीं है बल्कि चिंता इस बात की है कि इन उद्योग धंधों पर भी धीरे–धीरे विदेशी कंपनियों का कब्जा होता चला जा रहा है। चाहे टेलीकॉम हो या ऑटो उद्योग, चाहे वित्तीय क्षेत्र हो या सेवा क्षेत्र, हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है। अपेक्षाकृत आसान व्यवसाय के क्षेत्र में नीतियां भी विदेशी निवेशकों के अनुरूप ही बन रही है। आज जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश की सीमा 51 प्रतिशत से ऊपर निर्धारित हो चुकी है, उनमें से अधिकतर का नियंत्रण विदेशियों के हाथों में है। स्वाधीनता का असली अर्थ यहां बेमानी हो जाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जगह बहुराष्ट्रीय साम्राज्यवाद का आधिपत्य स्थापित हो गया है। नीतियों की दिशा अब भी वहीं है, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। कल बीमा और रक्षा उत्पादन में भी यही स्थिति होने वाली है। 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत विदेशी निवेश की सीमा पता नहीं कितनी जल्दी 100 प्रतिशत तक पहुंच जाए। आम उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में भी हम स्वाधीन नहीं है। क्या खाएं, क्या पहने, किस तरह की इलेक्ट्रानिक वस्तुओं का इस्तेमाल करे, इसका फैसला हम नहीं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां करने लगी है। आज यह पता करना लगभग असंभव है कि कौन सा उत्पाद देसी कंपनियों का और कौन सा उत्पाद विदेशी कंपनियों का है। उपभोक्ता क्षेत्र में उत्पादों की श्रृंखला इतनी बड़ी है कि अब देसी निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव सा हो गया है। जैसे–जैसे हमारी निर्भरता विदेशी कंपनियों पर बढ़ेगी, वैसे–वैसे हमारे संसाधन भी भारत से उठकर विदेशों में प्रवाहित होते जायेंगे। अभी तक जिन क्षेत्रों में हमने विदेशी निवेश की अनुमति दी है, उनमें से अधिकतर में हमने घरेलू उपलब्ध कच्चा माल की मात्रा 30 प्रतिशत से अधिक नहीं रखी है, यानि विदेशी कंपनियां न सिर्फ हमारे यहां के बाजार पर कब्जा कर रही है, बल्कि कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से कराकर अनाप–शनाप कीमत वसूल रही है और हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि हम उस पर रोक लगा सके। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वाधीनता का यह अभिप्राय सोचा भी नहीं होगा।

अंधनिजीकरण

ईलाज या बीमारी!

क्यां हमें यह मान लेना चाहिए कि अंधनिजीकरण का प्रयोग बुरी तरह फेल रहा है? कुछ सार्वजनिक सेवा क्षेत्र ऐसे थे जिनका निजीकरण सिर्फ लाभ कमाने के लिए किया गया, वे अब इतने महंगे हो गए कि आम आदमी के लिए उसका खर्च उठाना बस की बात नहीं है। आज की परिस्थितियां निजीकरण 'एकमेव उपाय सिद्धांत' रूपी सोंच का ही भयंकर परिणाम है। समाज में यह लगभग मान्य स्थिति थी कि सरकार के लोग आलसी, फिजुलखर्ची और अयोग्य होते है, लेकिन निजीकरण के सिद्धांत का पालन भी तो प्रलयकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि एक अक्षम व एकाधिकार व्यवस्था की जगह उससे भी अधिक गैर जिम्मेदार व महंगी व्यवस्था ने ले ली है।

निजीकरण ने देश की राजनीतिक दिशा ही बदल कर रख दी है। तमाम सरकारें निजी क्षेत्रों के उद्योगों व कारपोरेट के प्रभाव में काम करती दिखती है। उन्हीं के लाभ के लिए नीतियां बनाई जाती है और बदले में उनसे व्यक्तिगत लाभ लिया जाता है। पूंजीवाद और निजी निगमीकरण की अवधारणा पश्चिम में आज से 400 साल पहले ही आ गई थी। मशहूर अर्थशास्त्री एडम स्मिथ मुक्त बाजार के प्रबल समर्थक थे। वे कहते थे कि सिर्फ निजीकरण से ही किसी वस्तु की तार्किक मूल्य तय हो सकता है और सभी के पास वस्तु व सेवाएं पहुंच सकती हैं। लेकिन एडम स्मिथ ने कुछ सेवाओं और वस्तुओं की व्यवस्था राज्य सरकार के जिम्मे होने की वकालत की थी जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, पोस्ट ऑफीस, पुलिस, अग्निशमन, सार्वजनिक निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यायपालिका, परिवहन, बैंकिंग, एकाधिकार पर नियंत्रण और गरीबों तथा वंचितों का अनुपालन। एडम स्मिथ ने चेतावनी दी थी कि यदि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच किसी प्रकार असंतुलन हुआ तो उसके परिणाम भयंकर होंगे। और वहीं हुआ, अंध–निजीकरण से न सिर्फ सेवाएं और वस्तुएं महंगी हुई, बल्कि संसाधनों

आज की परिस्थितियां निजीकरण 'एकमेव उपाय सिद्धांत' रूपी सोंच का ही भयंकर परिणाम है – **विक्रम उपाध्याय**

का वितरण एकतरफा होने लगा कुछ लोगों को अरबपति बनाने के लिए लाखों लोगों को और गरीब बना दिया गया। हम निजीकरण के दुखद रास्ते पर बहुत दूर चले आए हैं और अब जरूरी है कि वहां से लौटे और एक संतुलित व्यवस्था का निर्माण करे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और अति धनी लोग अपनी राजनीतिक पहुंच और धन के बदौलत न सिर्फ आम लोगों का हक मार रहे हैं, बल्कि कर चोरी कर के भी आसानी से निकल जा रहे हैं।

निजीकरण की मार जहां सबसे अधिक पड़ी

शिक्षा : हाल ही में प्रकाशित विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि तीसरी कक्षा में पढ़ रहे प्राथमिक स्कूल के लगभग एक तिहाई बच्चे ना सिर्फ अंग्रेजी, बल्कि वे अपनी मातृभाषा भी ना तो ठीक से लिख पाते हैं और ना पढ़ पाते हैं। पांचवीं कक्षा के आधे बच्चे दूसरी कक्षा के बच्चों को भी नहीं पढ़ा सिखा सकते। शिक्षा में यह गिरावट के पीछे कई कारण हैं एक तो प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों का भारी अभाव है और दूसरा सरकार जो पैसे देती है उसका अधिकतम उपयोग स्कूल के भवन बनाने या मरम्मत में लग जाता है। 2009 में शिक्षा के अधिकार विधेयक पास होने के बाद स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या में कमी तो आई, लेकिन शिक्षा के स्तर पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

सरकारी प्राथमिक स्कूलों में गुणात्मक शिक्षा के अभाव में लोग निजी क्षेत्र के स्कूलों में जाने को मजबूर हुए और पिछले चार वर्षों में निजी क्षेत्र के स्कूलों की संख्या की जैसे बाढ़ आ गई। सरकार की स्कूली शिक्षा के प्रति उदासीनता और सरकारी स्कूलों की अपेक्षा का ही परिणाम है कि आज देश के 30 फीसदी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। विद्या का मंदिर स्कूल व्यावसायिक प्रतिष्ठान बन गए हैं। वर्ष 2008 में भारत के कुल प्राइवेट स्कूलों की सम्मिलित आय 45 करोड़ डालर की थी जो अब इस समय बढ़कर 40 अरब डालर से ज्यादा हो गई है।

उद्योग संगठन एसोचैम ने एक

अध्ययन में कहा है कि 2005 में अभिभावक प्रति बच्चे जहां 35,000 रुपये सालाना खर्च करते थे, वहीं 2011 में यह खर्च बढ़कर 94,000 रुपये सालाना हो गया और अब यह खर्चा डेढ़ लाख रुपये से भी ज्यादा है। एसोचैम का सर्वे यह बताता है कि किस तरह प्राइवेट स्कूलों पर शिक्षा के लिए निर्भरता बढ़ने से लोग परेशान है। सर्वे के अनुसार जब तक बच्चा स्नातक की डिग्री हासिल करता है तब तक अभिभावक पर 18 से 20 लाख का आर्थिक बोझ आ जाता है। कई प्रदेशों में बच्चों की शिक्षा पर लोगों को जमीन जायदाद तक बेचने पड़ जाते हैं।

स्वास्थ्य : सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में निजी क्षेत्र पर स्वास्थ्य सुविधा की निर्भरता बढ़ने के साथ ही लोगों की स्थिति और दयनीय होती चली गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 70 फीसदी बीमार लोग ईलाज का खर्च अपनी जेब से चुकाते हैं फिर भी उन्हें समुचित ईलाज की सुविधा नहीं मिलती, जबकि श्रीलंका जैसे छोटे देश में 40 फीसदी से अधिक लोग स्वास्थ्य खर्च अपने पैसे से वहन नहीं करते। एनएसएसओ के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं महंगी हुई है। खुद राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी का कहना है कि ईलाज में बेइंतहा पैसे खर्च होने के कारण हर वर्ष भारत के

जब तक बच्चा स्नातक की डिग्री हासिल करता है तब तक अभिभावक पर १८-२० लाख का आर्थिक बोझ आ जाता है।

लगभग चार करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। एचडीएफसीइरगो के अनुसार स्वास्थ्य खर्चे की मुद्रास्फीति दर 20 फीसदी से अधिक है। बावजूद इसके देश के अधिकतर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आज भी हमारे देश में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर चीन के मुकाबले सात गुणा अधिक है। आज देश के 20 लाख लोगों को तत्काल दिल के ऑपरेशन की जरूरत है लेकिन उनमें से 5 फीसदी लोग ही दिल के ऑपरेशन का खर्च उठा पाते हैं। आज देश में 10 करोड़ से अधिक लोग मधुमेह रोग के शिकार हैं, पर उनमें से अधिक समय पर उसकी जांच भी नहीं करा पाते। 25 लाख से अधिक भारतीय कैंसर के रोग से जूझ रहे हैं पर वे ईलाज का खर्च नहीं जुटा पाते।

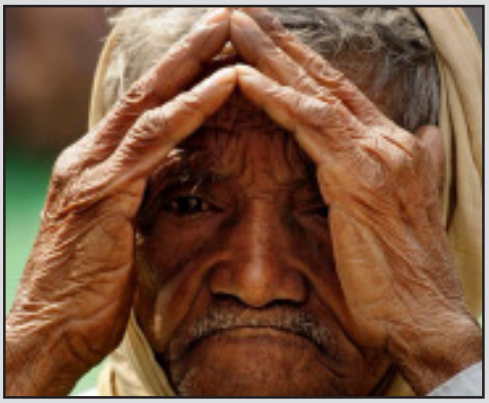

देश में लगभग आठ लाख डॉक्टर तो हैं, लेकिन अस्तपालों में विस्तर नहीं है।

कहने को भारत आज भी दुनिया में सबसे सस्ता ईलाज उपलब्ध कराने वाले देशों में शामिल है पर यहां की सरकारी अस्पतालों की हालत काफी बुरी है। देश में लगभग आठ लाख डॉक्टर तो हैं, लेकिन अस्तपालों में विस्तर नहीं है। सरकारी अस्पतालों में लगी मशीने या तो पुरानी हो गई है या फिर रख–रखाव ठीक नहीं है। इसका फायदा किसको मिल रहा है निजी क्षेत्र को। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय केवल 1500 डॉलर प्रति वर्ष हो वहां यदि 70 फीसदी लोगों को निजीकरण के चलते ईलाज का खर्च अपनी जेब से देना पड़े तो क्या होगा।

जीविकोपार्जन

पिछले पच्चीस वर्षों में जीविको–पार्जन के साधन इतने महंगे हुए है कि लोगों के लिए दो जून की रोटी और दो कपड़े जुटाने के लाले पड़ गए है। एक खाद्यान्नों के बाजार भाव में हर दशक में 200 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। यानी हर चीज के दुगने/तिगने दाम। पिछले पच्चीस वर्षों का हिसाब निकाले तो आटा 6 रुपये प्रति किलो से 40 रुपये प्रति किलो पहुंचा है तो चावल 8 रू. प्रति किलो से 60 रू. प्रति किलो। खाद्य तेल भी 12 रू. प्रति लीटर से इस समय लगभग 80 रू. लीटर हो चुका है। चीनी, दाल, मसाले और अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमत में इसी रफ्तार से बढ़ी है। जबकि आमदनी में वृद्धि इतनी गुणात्मक दर से नहीं हुई। आज भी हम गरीबी रेखा की आय सीमा 30–35 रू. रोजाना कमाई को ही मानते है। निजीकरण का प्रभाव इस महंगाई को बढ़ाने में कितना है, इसका ठीक आकलन अगर करना हो तो एक पैमाना यह है कि जबसे इन खाद्यान्न के बाजार में निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय कंपनियां घुसी है तभी से महंगाई बेलगाम हो गई है। अब जब चाहे निजी साहूकार या कंपनियां जमाखोरी करके कृत्रिम रूप से चीजों की कील्लत पैदा कर देती है और दाम बढ़ा देती है। सरकार का इन पर ना तो नियंत्रण है, न कीमतों पर अंकुश की व्यवस्था। जबसे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का प्रचलन बढ़ा है, जब से महंगाई ओर बढ़ी है।

निजी क्षेत्रों ने लोगों की जीवन शैली ही बदलकर रख दी है। फैंशन और विज्ञापन के जोर पर अनावश्यक उपयोग की चीजें भी लोगों के घरों तक पहुंचने लगी है। 50 हजार तक के मोबाईल, 2 लाख तक के टीवी, हजारों रूपयों के अनेक इलेक्ट्रोनिक डिवाईस हर घर की मजबूरी बन गई है। नतीजा भारतीय आम उपभोक्ता भी घरेलू उपयोग के लिए चीजों को खरीदने में कर्ज का सहारा लेने लगा है। आधुनिक जीवन शैली के चलते परिवार बिखर रहे है और आत्महत्या करने पर भी मजबूर हो रहे हैं। निजीकरण का प्रभाव सामान्य सुविधा की कीमतों पर भी पड़ा है जो आमतौर पर मुफ्त या कम कीमत पर मिला करती थी।

स्थानीय निकायों ने लगभग पानी की आपूर्ति सशुल्क कर दी है। बड़ी–बड़ी कंपनियों को पानी आपूर्ति का ठेका दिए जाने के बाद पानी की कीमत में भी आग लग गई है। बड़े शहरों में 2500 रू. तक तथा छोटे शहरों में 500 रू. प्रति माह पानी का बिल आने लगा है। बंगलूरू, गोवा, दिल्ली आदि जगहों पर पानी की आपूर्ति और उसकी कीमत राजनीतिक मुद्दा तक बनती रही है। यही हाल बिजली की आपूर्ति का है। पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं होने के कारण राज्य सरकारें महंगी दर पर बिजली बिल वसूलने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों को दे चुकी है। वितरण और पारेषण के धंधे में उतरी निजी क्षेत्र की कंपनियां खुद तो मालामाल हो रही है लेकिन आम जनता को कंगाल कर रही हैं। मॉल संस्कृति के कारण मनोरंजन भी अब खासा महंगा हो गया है। 150–250 रू तक की फिल्म की टिकटें अब धडल्ले से बिक रही है। मनोरंजन के अन्य साधन भी छोटे लोगों की पहुंच से दूर हो चुके हैं।

निजीकरण की मार आम आदमी की वित्तीय व्यवस्था पर भी पड़ी है। व्यक्तिगत ऋण या उपभोक्ता ऋण के नाम पर लोगों से सालाना 24–30 प्रतिशत तक ब्याज बसूले जा रहे है। यह आमतौर पर निजी क्षेत्र की वित्तीय कंपनियां ही कर रही है। हर छोटे–छोटे कस्बों तक इन वित्तीय कंपनियों की पहुंच है। जहां आए दिन पैसे लेकर फरार होने की भी खबरे आती है।

निजी क्षेत्र न सिर्फ निरंकुश है बल्कि कई बार अनाचार गतिविधियों में भी संलग्न पाया गया है। सत्यम्, सहारा और शारदा जैसे घोटाले के सामने आने के बाद अब यह कहना भी सही नहीं रहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी तंत्र में है। ❑❑

एपीजेः राष्ट्र रहेगा सदा ऋणी

उन्होंने जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चिंतन किया और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ हमें पढ़ाया भी, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा,

एस. गुरूमूर्ति

यदि उनके एक हाथ में बम और मिसाइलें थी तो दूसरे हाथ में गीता व वीणा भी थी। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व एक बड़े दार्शनिक और देशभक्त जैसा था। उन्होंने जटिल राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चिंतन किया और ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ हमें पढ़ाया भी, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं सीखा।

हम अकसर अपने आप से या अन्य लोगों से पूछते हैं कि आखिर क्यों हजारों वर्षो की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले भारत ने कभी सीमाओं के विस्तार के बारे में नहीं सोचा या आधिपत्य जमाने वाली प्रवृत्ति नहीं अपनाई। बहुत से विशेषज्ञों का इस मामले में जवाब यह रहा है कि भारतीय कुछ अलग ही विशिष्ट मानसिकता के लोग है। उनके मुताबिक हम लोगों में जबर्दस्त सहन क्षमता के साथ कुछ अनुशासन और प्रतिरोध करने के भाव की कमी है। हम बाहरी लोगों को स्वीकार करने के मामले में लचीला रूख रखते हैं और हमारा जोर जोखिम उठाने की बजाय निजी सुरक्षा पर अधिक रहता है। यही सारी बातें डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने सहयोगी लेखक एस.वाई राजन के साथ प्रसिद्ध पुस्तक 'इंडिया विजन 2020, ए विजन फॉर दि मिलेनियम' में लिखी हैं। कलाम ने हमारे राष्ट्रीय असमंजस के संदर्भ में ये जो मुद्दे उठाए हैं, उसकी नींव शायद तब ही पड़ी होगी जब कुछ हजार बरस पहले हमारे आदर्श सम्राट अशोक ने युद्ध को हमेशा के लिए छोड़ दिया था।

मुद्दों पर गहन अध्ययन

कलाम जिन्हें उनके लाखों प्रशंसक आमजन का राष्ट्रपति, शिक्षक, वैज्ञानिक, उच्च कोटि का दृष्टा, विचारक और देशभक्त कहते हैं लेकिन हकीकत में वे इससे कहीं अधिक थे। कलाम ने जो भी मुद्दे उठाए उन सभी के पीछे उनका गहन अध्ययन और विचार रहा है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमने अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया और जहां तक है उसी पर संतोष कर लिया। हम अनुशासित नहीं हैं और हमारी सहन क्षमता केवल खोखलेपन से अधिक कुछ नहीं है।

निकटवर्तियों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को स्वीकार करने की आदत ने हमें विभाजित करके रख दिया। जोखिम की बजाय अपनी ही खोल में सुरक्षित रहने की आदत ने हमें दुस्साहसियों का शिकार बनाया। कितने सही थे कलाम? हां, ना तो पहले कभी और ना ही अब तक हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था को उनकी सोच के मुताबिक ढालने का प्रयास किया है। कलाम जैसे व्यक्तित्व की निजी से लेकर उनके बचपन तक की बातों पर विचार किया जा रहा है लेकिन उन्होंने भारत के लिए जिस तरह के खवाब देखे पर बहुत ही कम लोगों का ध्यान है।

हम उनके विचारों को जाने बिना ही उन्हें बड़े विचारक का तमगा पहना देंगे। देश को लेकर कलाम के विचारों

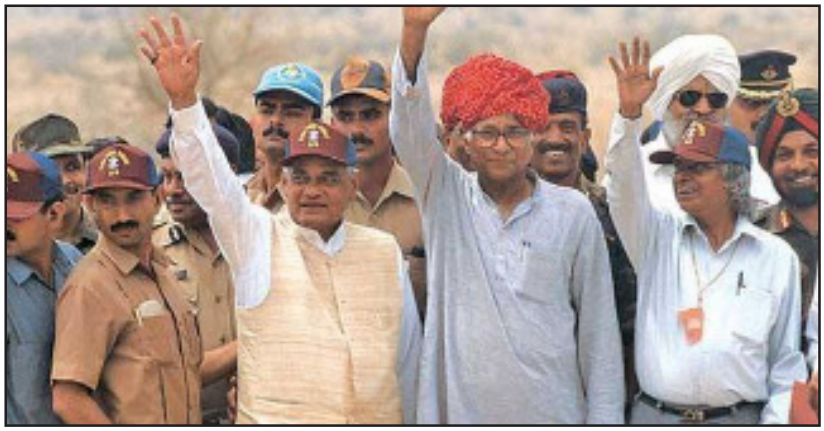

पर गंभीर चिंतन व सक्रियता से काम होना चाहिए। अब भी देर नहीं हुई। उन्होंने देश के लिए लिए जो ख्वाब देखे व लक्ष्य रखे उस ओर बढ़ने की शुरूआत होनी चाहिए। हां, इस काम की शुरूआत तब तक नहीं हो सकती जब तक कि भारत इस मामले में स्वयं व दुनिया के लिए अपनी भूमिका के लिए आत्ममंथन नहीं करता।

मिली अलग श्रेणी

कलाम के पोखरण बम विस्फोट व मिसाइल कार्यक्रम ने भारत को दुनिया के सामने भू–राजनीतिक और रणनीतिक रूप से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था। भारत के पूर्व विदेश सचिव राजीव सीकरी ने अपनी किताब 'चौलेंज एंड स्ट्रेटेजीः री थिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी' में कहा कि जवाहर लाल नेहरू की जाहिर, लेकिन कम प्रचारित अमरीका से नजदीकी की रणनीति के बावजूद 1950 के दशक में उससे (अमरीका) हमारे संबंध सबसे कमजोर स्तर के रहे। सीकरी के मुताबिक 1998 में जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना तो भारत के साथ संबंध में अमरीका के रूख में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिला।

केवल अमरीका ही नहीं, संपूर्ण दक्षिण एशिया ने भारत को भू–राजनीतिक रूप में सुरक्षा के लिहाज से गंभीरता से लेना शुरू किया। परमाणु हथियारों की ताक निस्संदेह भयावह है। जब पहले अणु बम का विस्फोट हुआ तो इसके जनक डॉ. रॉबर्ट ओपेनहीमर जो भारतीय अध्यात्म के बड़े प्रशंसक भी थे, ने गीता के श्लोक का संदर्भ लेते हुए इसकी ताकत के बारे में कहा था, यदि हजारों चमचमाते सूर्यो की विकिरित तरंगों का एक साथ आकाशीय विस्फोट हो तो वह सर्वशक्तिमान के प्राकट्य के समान होगा. .. मैं दुनियाओं को धूल–धूसरित कर देने वाली मौत बन चुका हूं। यही बात वर्ष 1998 में पोखरण बम विस्फोट के समय

कलाम के पोखरण बम विस्फोट व मिसाइल कार्यक्रम ने भारत को दुनिया के सामने भू-राजनीतिक और रणनीतिक रूप से अलग श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया था।

राष्ट्रवादी दार्शनिक एपीजे अब्दुल कलाम चाहते थे कि सवा अरब लोगों का देश एक स्वर में इस बात को कहे, हां, हम महाशक्ति बनना चाहते हैं।

गीता अध्ययन व वीणा वादन करने वाले कलाम भी कह रहे थे कि मैंने अपने पैरों के नीचे धरती का दहला देने वाली कंपन भी सुनी और बढ़ती भयावहता को भी महसूस किया। यह बेहद खूबसूरत नजारा था। यह भारतीय विज्ञान और तकनीक की जीत थी।

शक्तिविहीनता खतरनाक

ताकत हकीकत में बहुत ही खतरनाक होती है लेकिन इसके बिना जीना और भी खतरनाक होता है। दुनिया के 1/6 आबादी वाले लोकतांत्रिक देश भारत जहां शंकर, बुद्ध और गांधी का मानव दर्शन हो, जिसका आक्रांता होने का कोई रिकॉर्ड ना हो वहां उच्च सहन क्षमता और बाहरी लोगों को अपनाने में लचीला रूख अपनाने के दृष्टिकोण का सम्मान नहीं होता। वास्तव मे यह बात बहुत तुच्छ है। इसके विपरीत देखिए, 1970 में हेनरी किसिंगर को बीजिंग में मुलाकात के लिए कुछ दिन इंतजार करना पड़ा और वो भी तब जबकिचीन में करीब तीन करोड़ लोग भूख से मर रहे थे। पूरा देश गरीबी से जूझ रहा था। कारण साफ था कि भूखे और गरीब चीन के पास सैकड़ों परमाणु हथियार थे। यह उसी ताकत का सम्मान है जिसका पाठ दुनिया ने भारत को पढ़ाया है।

भारत की भू–रणनीतिक स्थिति में परमाणु विस्फोट के बाद तेजी से सुधार हुआ। अमरीकी नेशनल इंटेलीजेंस की दिसंबर 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत वर्ष 2030 तक चीन व अमरीका के बाद तीसरा महाशक्ति होगा। लेकिन, कलाम के बम विस्फोट व मिसाइल कार्यक्रम के बिना भारत विश्व शक्ति के तौर पर खड़ा भी नहीं हो सकता था।

जापान के पास खरबों डॉलर की संपत्ति होगी, लेकिन यह बात उसे महाशक्ति का दावेदार नहीं बनाती। शक्ति तो समग्र तौर पर होती है। सैन्य शक्ति के बिना केवल आर्थिक शक्ति बन जाने का अर्थ है कि आप आक्रांताओं को ही निमंत्रित करेंगे जैसा कि भारत करता रहा था। दुनिया के आर्थिक इतिहास को पढ़ाने वाले एगस मेडिसन का कहना है कि हमारा देश 1700 बरस तक दुनिया की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करता रहा, लेकिन हमारी संपन्नता ने केवल आक्रांताओं को ही निमंत्रित किया। हम इसीलिए हारे क्योंकि हम ताकत की महत्ता को भुला बैठे थे यहां तक कि हमने शक्ति के परीक्षण को भी असभ्य करार दिया।

हमारे राष्ट्रीय असमंजस की स्थिति या सैन्य शक्ति के बारे में पूर्वाग्रह की शुरूआत तब ही से हुई थी जब युद्ध के बाद सम्राट अशोक कलिंग की दुर्गति से सदमे में आ गए थे और युद्ध न करने का फैसला लिया था। अशोक की युद्ध के बाद की मनरूस्थिति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अर्जुन की कुरूक्षेत्र में महाभारत युद्ध से पूर्व थी। एक युद्ध के बाद रोया था तो दूसरा युद्ध के पहले। लेकिन, श्रीकृष्ण ने भगवत गीता से अर्जुन के असमंजस को दूर किया था और योद्धा बना दिया था। अशोक को श्रीकृष्ण की उपस्थिति का लाभ नहीं मिला जो उसके असमंजस से निकाल पाता। दुर्भाग्य से अशोक के असमंजस की स्थिति हमारा राष्ट्रीय अभिमान बन गई। इसकी हमने बहुत बड़ी कीमत आक्रमणों और देश को तहस–नहस होते हुए देखने के तौर पर चुकाई है। कलाम के पोखरण बम विस्फोट के बाद असमंजस की स्थिति दूर हुई और देश वैश्विक शक्ति के रूप मे परिवर्तित हुआ।

इतिहास से लें सबक

लेकिन हमारे प्रबुद्ध लोग अब भी इस ज्ञान के अंधकार से जूझ रहे हैं। इकोनॉमिस्ट मैगजीन (30 मार्च 2013) की कवर स्टोरी पूछती थी, क्या भारत महाशक्ति बन सकता है? इसका उत्तर अंत में संपादकीय में दिया गया कि भारत महाशक्ति बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर प्रश्न यही है कि क्या उसमें वह बनने की चाहत है। यही वह बात थी जो राष्ट्रवादी दार्शनिक एपीजे अब्दुल कलाम चाहते थे कि सवा अरब लोगों का देश एक स्वर में इस बात को कहे, हां, हम महाशक्ति बनना चाहते हैं। अपने इतिहास से सबक लेते हुए हम उनके सिखाए पाठ को क्रियान्वित कर पाएं तो यही उस महान व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ❑❑

विकास का तार्किक परिणाम बेरोजगारी!

वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इकानोमिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2009 से 2012 मे प्रति वर्ष संगठित क्षेत्र में मात्र 5 लाख रोजगार का सृजन हुआ है। हमारे श्रम बाजार में प्रति वर्ष एक करोड़ युवा प्रवेश कर रहे हैं, पुराना बैकलाग कम से कम 6 करोड़ का है। क्या कारण है कि हम केवल 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष सृजित कर रहे हैं? कारण है कि कंपनियों द्वारा अधिकाधिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। विकास की प्रक्रिया में ऐसा होता ही है। विकास का अर्थ होता है समृद्धि, यानी पूँजी की प्रचुर उपलब्धता। पूँजी अधिक उपलब्ध होने से ब्याज दर कम हो जाती है और कंपनियों के लिए मंहगी आटोमेटिक मशीनों में निवेश करना लाभप्रद हो जाता है। दूसरी तरफ विकास की प्रक्रिया में लोगों का जीवन स्तर ऊँचा होता है और वेतन बढ़ते है। इससे कंपनियों के लिए श्रमिक को रोजगार देना घाटे का सौदा होने लगता है। इस प्रकार विकास का तार्किक परिणाम बेरोजगारी है। विकास दर ऊँची होने का अर्थ है कि कंपनियां अधिक उत्पादन करके सस्ता माल बेच रही है। ऐसा तब ही संभव है जब वे श्रमिकों का उपयोग कम करें। जैसे कि चीनी मिल ने बायलर में बगास झोंकने की आटोमेटिक मशीन लगा दी। लागत कम आई और कंपनी ने उत्पादन बढ़ाया। परन्तु रोजगार का हनन हुआ। इस प्रकार विकास और बेरोजगारी साथ–2 चल रहे है।

इस समस्या का समाधान मनेरगा जैसी योजनाओं से नही निकल सकता है। कारण यह है कि मनेरगा के लिए राजस्व जुटाने के लिए बड़ी कंपनियों से टैक्स अधिक मात्रा में वसूल करना होगा। ऐसा तब ही संभव है जब ये कंपनियां अधिक उत्पादन करे। इनके द्वारा अधिक उत्पादन आटोमेटिक मशीनों से किया जाएगा, तब ही बाजार में टिकेगा। आटोमेटिक मशीनों के उपयोग से रोजगार का हनन होगा। जितना रोजगार हम मनेरगा से बनाऐंगे उससे ज्यादा बेरोजगारी आटोमेटिक मशीनों से बढ़ेगी।

हमे अर्थव्यवस्था को दो क्षेत्रों मे विभाजित कर देना चाहिए। एक ''विकास क्षेत्र'' तथा दूसरा ''रोजगार क्षेत्र''। विकास क्षेत्र में पेट्रोलियम, स्टील, रेल, जैसी पूँजी सघन उद्योगों को रखना चाहिए। इन क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावनाएं कम होती है। रिफाइनरी में

मशीनों से लागत कम आई और कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया। परन्तु रोजगार का हनन हुआ। इस प्रकार विकास और बेरोजगारी साथ–साथ चल रहे है– **डॉ. भरत झुनझुनवाला**

बालटियों से पेट्रोल को शोधित नही किया जा सकता है। इस क्षेत्र मे पूंजी के प्रचुर उपयोग की छूट देनी चाहिए। यहां लक्ष्य अधिकाधिक मात्रा में सस्ता उत्पादन होना चाहिए जिससे हम विश्व बाजार मे अपना रुतबा स्थापित कर सके। ''रोजगार क्षेत्र'' में बिलकुल अलग नीति लागू करने की जरूरत है। जैसे, बुनाई को ले। पावर लूम पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया जाए तो मशीन से बना कपड़ा महंगा हो जाएगा। फलस्वरूप हैन्डलूम सहज ही सस्ता पड़ने लगेगा। करोड़ों लोगों को हैन्डलूम से कपड़ा बुनने में रोजगार मिल जाएगा। मनेरगा की जरूरत ही नही रह जाएगी। अथवा हार्वेस्टर पर टैक्स लगा दे तो कटाई में करोड़ों रोजगार उत्पन्न हो जाऐंगे। लेकिन ट्यूबवेल पर टैक्स लगाना उचित नही होगा चूंकि 500 फीट की गहराई से रहट से पानी निकालना संभव ही नही है। सरकार को चाहिए कि नीति आयोग को कहे कि देश में उपलब्ध तमाम तकनीकों का रोजगार आडिट करे। देखें कि किन तकनीकों पर न्यून टैक्स लगाने से ज्यादा संख्या में रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। यह भी देखें कि एक साल में दो करोड़ रोजगार सृजित करने के लिए कितनी तकनीकों पर कितना टैक्स लगाना होगा। तदानुसार टैक्स लगा दे तो एक पंथ दो काज हासिल हो जाएँगे। टैक्स की वसूली होगी, रोजगार सृजित होंगे और मनेरगा पर किए जाने वाले खर्च की बचत होगी सो अलग।

समस्या वर्ल्डट्रेड आर्गनाइजेशन के स्तर पर उत्पन्न होगी। भारत में पावरलूम पर टैक्स लगाने से हमारे घरेलू बाजार में कपड़ा मंहगा हो जाएगा। फलस्वरूप पावरलूम से चीन में बना सस्ता कपड़ा प्रवेश करेगा। ऐसा हुआ तो हमें दोहरा नुकसान होगा। हमारा हेन्डलूम उद्योग बंद हो जाएगा चूँकि चीन का सस्ता कपड़ा बाजार में उपलब्ध होगा। हमारा पावरलूम उद्योग भी बंद हो जाएगा चूँकि हमने उस पर भारी टैक्स लगा दिया है और पावरलूम का कपड़ा मंहगा पड़ रहा है। अतः जरूरी होगा कि साथ–2 पावरलूम से बने कपड़े पर भारी मात्रा में आयात कर लगाया जाए। ऐसा करने के लिए डब्लूटीओ संधि में संशोधन भी आवश्यक हो सकता है। परन्तु हमारी कर्मठ सरकार के लिए इसे हासिल करना कठिन नही है। रोजगार की समस्या का विश्व के किसी भी देश के पास समाधान नही है। सब देश सस्ता माल बनाने की होड़ में बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे है जैसे सभी को सम्मोहित कर दिया गया हो। ऐसे में मुख्यधारा का अनुसरण करते हुए सबके साथ नरक में जाने से उत्तम होगा कि हम स्वर्ग पहुंचने का अपना अलग रास्ता बनाएं।

इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्किल डेवलपमेंट को दिये जा रहे प्रोत्साहन को समझना होगा। प्रधानमंत्री ने 2022 तक 40 करोड़ श्रमिकों की कार्य क्षमता में सुधार का लक्ष्य रखा है। निश्चित ही स्किल के विकास से वैश्विक स्तर पर अनेक रोजगार उत्पन्न हो सकते हैं। घरेलू अर्थव्यवस्था में रोजगार ठंडे पड़े रहें तो विश्व अर्थव्यवस्था से सहारा लग सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ट्रान्सलेशन, बिल्डिंग की डिजायन, कानूनी रिसर्च इत्यादि तमाम कार्यों को भारत में किया जा सकता है। आज देश में मिडल क्लास का विस्तार साफ्टवेयर के माध्यम से हुआ है। साफ्टवेयर की तर्ज पर दूसरे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर विकास हो सकता है। इस दिशा में इंटरनेट के माध्यम से जिन सेवाओं का निर्यात हो सकता है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हमारे फिटर तथा मैकेनिकों के लिये विश्व के रोजगार के अवसर खुलना कठिन हैं चूंकि ये सेवाएं दूसरे देश में जाकर ही मुहैया कराई जा सकती हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से रोजगार उत्पन्न करने के लिये सरकार को चाहिये कि जर्मन, फ्रेंच, चाइनीज तथा जापानी जैसी भाषाओं का भारत में विस्तार करे। स्नातक छात्रों के लिये एक विदेशी भाषा को सीखना अनिवार्य बना देना चाहिये। कई अमरीकी विश्वविद्यालयों में ऐसी व्यवस्था लागू है। देश के हर जिले में कृषि विज्ञान केन्द्रों की तरह विदेशी भाषा केन्द्र खोलने चाहिये। इन केन्द्रों में विदेशी भाषा की शिक्षा देनी चाहिये। विश्वविद्यालयों को निर्देश देना चाहिये कि हर स्नातक को एक स्किल का कोर्स भी कराये। जैसे अंग्रेजी के एमए के छात्रों को ट्रान्सलेशन का कोर्स करायें।

विश्वविद्यालयों को निर्देश देना चाहिये कि हर स्नातक को एक स्किल का कोर्स भी कराये। जैसे अंग्रेजी के एमए के छात्रों को ट्रान्सलेशन का कोर्स करायें।

स्किल डेवलपमेंट का केन्द्र वैश्विक बाजार होना चाहिये। इस दिशा में घरेलू उद्यमों में विशेष रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे। देश में तमाम स्किल्ड लोग वर्तमान में ही बेरोजगार हैं। ऐसे में स्किल्ड डेवलपमेंट से केवल टोपी ही बदली जायेगी। वर्तमान में कार्य कर रहे 70 अंक वाले वर्कर को बर्खास्त करके उद्यमी 90 अंक वाले वर्कर को रोजगार देगा। कुल रोजगार में वृद्धि कम ही होगी। अतः स्किल डेवलपमेंट का लक्ष्य विदेशों में इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराने वाली सेवाओं का होना चाहिये। इस दिशा में मोदी कारगर कदम उठायेंगे तो देश के युवा उन्हें प्रणाम करेंगे। ❑❑

विकास विरोधी कांग्रेस का अड़ंगा

25 साल बाद देश में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। देश के लिए यह सौभाग्यशाली सरकार होगी यदि पांच साल पूर्ण इच्छा एवं कार्यक्रमों के साथ सरकार को विपक्ष चलने दे। देश एक संक्रमणकाल से गुजर रहा है। पूरे विश्व में सिर्फ चीन और भारत ही दो ऐसे देश हैं जहां विकास दर 7 फीसदी से ऊपर लगातार हासिल हो रही है। सिर्फ कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए–2 की सरकार के अंतिम 4 साल के कार्यकाल को छोड़ दे तो लगातार भारत विकास की ओर अग्रसर हुआ है। पहले एनडीए के 6 साल के शासन में मजबूत विकास की नीवं पड़ी, तब देश 8.5 फीसदी विकास दर तक पहुंच चुका था और जिसका बाद में यूपीए–1 की सरकार ने भी उठाया। लेकिन 2014 के चुनाव से पहले कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था को वहीं लाकर छोड़ दिया था जहां 1991 में हम पहुंच गये थे। तब सोना गिरवी रखना पड़ा था और अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मनमोहन सिंह की सरकार ने भी सोना गिरवी रखने का मन बनाया था।

नरेन्द्र मोदी की सरकार न सिर्फ लोकसभा में बहुमत के आंकड़े के साथ बनी, बल्कि भारी जनमत के आधार पर भी बनी। जनता कांग्रेस के शासन से त्रस्त हो गई थी और वह नरेन्द्र मोदी में अपने भविष्य को तलाश रही थी। नरेन्द्र मोदी ने न सिर्फ सपने को जगाए रखा, बल्कि दुनिया के प्रमुख देशों की यात्रा कर देश में निवेश से लेकर तकनीक तक लाने का जी–तोड़ प्रयास शुरू कर दिया। परिणाम भी सामने आएं। आस्ट्रेलिया, अमरीका, जापान और चीन जैसे देशों ने मोदी सरकार पर भरोसा कर भारी निवेश की घोषणाएं की। पूरा परिदृश्य बदलने लगा था। लेकिन विपक्ष के सीने पर सांप भी लोटने लगा था। एक सक्षम सरकार को कुछ तोहमतों के आधार पर बदनाम करने का एक षडयंत्र चलने लगा और पिछले 3 महीने से कांग्रेस ने सरकार के हर काम में अडंगा लगाने का अभियान शुरू कर दिया है।

सफल सरकार चलाने के लिए आवश्यक है कि समयबद्ध तरीके से कार्यक्रमों एवं नीतियों का क्रियान्वयन हो। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। इसलिए संसदीय व्यवस्था में दोनों सदनों का बहुमत कानून बनाने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस मोदी सरकार की इस मजबूरी को कि बहुत सारे विधेयकों को पास कराने के लिए राज्यसभा में विपक्ष की सहायक भूमिका जरूरी है, भुनाना शुरू कर दिया।

एक सक्षम सरकार को कुछ तोहमतों के आधार पर बदनाम करने का एक षडयंत्र चलने लगा है और पिछले ३ महीने से कांग्रेस ने सरकार के हर काम में अडंगा लगाने का अभियान शुरू कर दिया है।

सुदेश वर्मा

यह समझे बिना कि इनमें से कई विधेयक ऐसे हैं जो अर्थव्यवस्था पर ही नहीं जनता के जीवनोपार्जन पर भी गंभीर असर डाल सकते हैं। भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कांग्रेस लगातार राजनीतिक अडेंगेबाजी तो लगाती ही रही अब जीएसटी विधेयक को भी व्यवहारिक जामा पहनाने के अपने पुराने वादे से भी मुकर गई। यह देश, जनता और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। जनता ने कांग्रेस को सत्ता से हटाकर विपक्ष में बैठने का आदेश सुनाया है। लेकिन कांग्रेस के नेता जनता की इस आदेश को न सिर्फ नाफरमान कर रहने है, बल्कि अपमान भी कर रहे हैं।

राजनीति में आरोप–प्रत्यारोप चलते रहते है। व्यक्तिगत आक्षेप और कटाक्ष भी कुछ हद तक मान्य है। पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो कदापि मान्य नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है कि आर्थिक मामलों पर जब भी देश में कोई संकट आया, तो राजनैतिक एकता के जरिये उसे दूर किया गया। कांग्रेस यह भूल गई है कि विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने यह जानते हुए भी कि सत्ता पक्ष उसका राजनैतिक फायदा ले सकता है, हमेशा नागरिकों से जुड़े मुद्दे पर अडंगेबाजी नहीं की। चाहे यह मनरेगा का मामला हो, या खाद्य सुरक्षा विधेयक का मामला। हालांकि आज आर्थिक विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष

लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सुषमा स्वराज ने और सदन में वरिष्ठ भाजपा के नेता के रूप में डा. मुरली मनोहर जोशी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन किया था।

निकाला जा सकता है कि ये दोनों योजनाएं अपेक्षित परिणाम देने में विफल रही। मनरेगा में आर्थिक संसाधनों की बर्बदी जमकर हो रही है और खाद्य सुरक्षा के मामले में तमाम व्यवहारिक दिक्कते आ रही हैं। फिर भी इसी लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में सुषमा स्वराज ने और सदन में वरिष्ठ भाजपा के नेता के रूप में डा. मुरली मनोहर जोशी ने खाद्य सुरक्षा विधेयक का समर्थन किया था। हर उन मुद्दों पर भाजपा उन दूसरी सरकारों के साथ खड़ी रही, जिन्होंने देशहित और आम जनता के हित में कानून बनाने के लिए भाजपा से सहयोग मांगा। हां भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किए गए घोटालों पर कोई समझौता नहीं किया। सदन में विरोध भी किया और कामकाज में भी बाधा पहुंचाई। लेकिन कांग्रेस ने देश की अर्थव्यस्था पर चोट पहुंचाने के उद्देश्य से बदला लेना शुरू किया।

आज भी न तो राजग के किसी मंत्री पर भ्रष्टाचार का कोई ठोस आरोप है और न किसी भाजपा के नेता पर। कांग्रेस तिल को ताड़ बनाने और रूई को पहाड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। दरअसल उसका मकसद मोदी सरकार की लोकप्रियता पर सवाल खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि कांग्रेस को इससे राजनैतिक लाभ होने वाला है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें कांग्रेस को कोई वजूद नहीं बचा है। बिहार में वह नीतिश और लालू की पिछलग्गू पार्टी की भूमिका में है, तो बंगाल एवं उत्तर प्रदेश में जमीन से ऊपर उठने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के पास न तो संगठन बचा है, न नेतृत्व। इसलिए उसका सारा जोर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अस्तित्व बनाए रखने का है।

कांग्रेस का कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान कितना हास्यास्प्रद है कि एक तरफ सोनिया और राहुल भ्रष्टाचार के खिलाफ नारा लगाते है और दूसरी तरफ गोवा में उनके नेता रिश्वत लेने के प्रकरण में जेल जाते है। देश को इस समय मजबूत विकास दर की जरूरत है। बड़ी मात्रा में निवेश की जरूरत है। देश में शांतिपूर्ण माहौल की जरूरत है। ताकि 125 करोड़ लोगों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन और परिणाम दिखाई दे सके। ❑❑

:: सूचना ::

स्वदेशी पत्रिका सम्राज्यवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज है। पत्रिका को ऐसे लोगों से प्रतिक्रियाएं, रिपोर्ट या आलेख की अपेक्षा है जो राष्ट्रहित में सोचते हैं और देश के स्वावलम्बन के लिए कुछ करने की इच्छा रखते है। जरूरी नहीं कि आप पत्रकार या लेखक ही हों, अपने आसपास से जुड़ी चीजों के प्रति आपकी संवदेना है और आप शब्दों में उसे लिख सकते है तो हमें अवश्य लिख भेजें। साथ ही स्वदेशी पत्रिका में छपे लेख आपको कैसे लगते हैं, क्या आप इसमें कुछ नए विषयों का समायोजन चाहते हैं कृपया हमें अवश्य अवगत कराएं। आपके विचारों को हम प्राथमिकता के साथ प्रकाशित करने का भी प्रयास करेंगे।

संपादक, स्वदेशी पत्रिका

'धर्मक्षेत्र', सेक्टर–8, बाबू गेनू मार्ग, रामकृष्णपुरम्, नयी दिल्ली–110022

मौसरे भाइयों की रिश्वतखोरी!

रिश्वत एक मंत्री को दी गई थी, उस समय गोवा में कांग्रेस की सरकार थी और वित्तमंत्री दिंगबर कामथ थे, जो मुख्यमंत्री भी थे।

अमेरिका की लुई बर्जर नामक कंपनी का एक जोरदार मामला पकड़ा गया है। यह कंपनी भारत, वियतनाम, इंडोनेशिया आदि देशों में ठेके पर काम करती है। इसके दो अधिकारियों को अब जेल काटनी होगी और इस कंपनी पर 100 करोड़ रू. का जुर्माना हुआ है। क्यों हुआ है यह? यह इसलिए हुआ है कि इस कंपनी के दो अधिकारियों ने गोवा और गुवाहाटी में दो ठेके लेने के लिए लगभग 6 करोड़ रू. की रिश्वत दी थी। जरा ध्यान दीजिए। उन्होंने रिश्वत ली नहीं थी, दी थी। रिश्वत देनेवालों को सजा मिलते तो हम कभी सुनते ही नहीं। हां, भारत में तो रिश्वत लेनेवाले अफसरों और नेताओं को सजा मिलने की खबर कभी–कभी सुनने में आ जाती है। न्यू जेरेसी की अदालत में उक्त कंपनी के दोनों अधिकारियों ने रिश्वत देने की बात कुबूल की है। उन्होंने अपना गुनाह यों ही भलमनसाहत में कुबूल नहीं किया है। उनके कई ई–मेल, डायरी के पन्ने और दस्तावेज पकड़े गए हैं। उनमें लिखा हुआ है कि वह रिश्वत एक मंत्री को दी गई थी, उस समय गोवा में कांग्रेस की सरकार थी और वित्तमंत्री दिंगबर कामथ थे, जो मुख्यमंत्री भी थे। वह ठेका गोवा में साफ पानी सप्लाय करने का था, जिसका सीधा संबंध पी डब्ल्यू डी मंत्री चर्चिल अलेमाओ से था। यह पहला मौका नहीं है कि हमारे भारतीय रिश्वतखोरों की वजह से कई विदेशी अफसर जेल जाएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा आदि देशों की कई अन्य कंपनियों के अफसर पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। इसके बावजूद वे हमारे मंत्रियों और अफसरों को रिश्वत क्यों देते हैं? वे बाएं हाथ से रिश्वत देते हैं और दाएं हाथ से उसे वसूल कर लेते हैं। वे जितनी रिश्वत देते हैं, उससे कहीं ज्यादा की लागत बढ़ा देते हैं। वह पैसा वे भारत की जनता से वसूलते हैं। रिश्वतखोर नेताओं की जेब से एक कौड़ी भी नहीं जाती।

ठेका गोवा में साफ पानी आपूर्ति का था, जिसका सीधा संबंध पी डब्ल्यू डी मंत्री चर्चिल अलेमाओ से था। यह पहला मौका नहीं है कि हमारे भारतीय रिश्वतखोरों की वजह से कई विदेशी अफसर जेल जाएंगे–
डॉ. वेदप्रताप वैदिक

विदेशियों से रिश्वत खाने का दौर लगभग 45 साल पहले शुरू हुआ और बोफोर्स में वह नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। अब वह सभी निचले स्तरों तक पहुंच गया है। विदेशी आदमी की दी हुई रिश्वत का जिक्र कहीं नहीं होता। वह हमेशा सिर पर नहीं बैठा रहता। यदि कहीं से रिश्वत का रहस्य रिसकर बाहर आ जाए तो भी उसको सिद्ध करना मुश्किल होता है, क्योंकि जिन पर सिद्ध करने की जिम्मेदारी होती है, वे लोग भी उतने ही चतुर रिश्वतखोर होते हैं। ❑❑

सुखद है गौ मांस के निर्यात पर प्रतिबंध

नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश से गौ–मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी शासित कुछ प्रदेशों में गौवध पर प्रतिबंध पहले ही लगाया जा चुका है। हो सकता है कि कुछ लोग गौवध और उसके मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के संविधान के निर्देशक सिद्धांतों में सरकार से अपेक्षा रखी गई थी कि वे गौवध पर प्रतिबंध लगायेंगी। लेकिन चूंकि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कानून के माध्यम से लागू नहीं करवाया जा सकता, इसलिए यदा कदा कुछ सरकारों द्वारा छोड़कर गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध के निर्णय से बचने का भी प्रयास होता रहा।

गौरतलब है कि यह प्रतिबंध अप्रैल 2015 को जारी विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लगाया गया है। केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक पत्र के उत्तर में कहा है कि गौ–मांस (गाय, बैल और बछड़े का मीट) का निर्यात विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत प्रतिबंधित है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जहां तक गौवध का प्रश्न है, मवेशियों का संरक्षण राज्य सरकारों का विषय है, इसलिए सरकार अखिल भारतीय स्तर पर गौवध पर प्रतिबंध लगाने वाला कोई कानून नहीं बना सकती। रोचक बात यह है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1 जनवरी 2014 से मांस के निर्यात पर सब्सिडी पहले से ही समाप्त की जा चुकी है।

मवेशी हमारे देश का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। खेती के लिए ऊर्जा ही नहीं, बल्कि देश में दूध उत्पादन में उनका बड़ा योगदान है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि रसायनिक खादों के अधिकाधिक उपयोग के कारण हमारी कृषि भूमि बंजर होती जा रही है और उसमें उर्वरा वापिस लाने के लिए जरूरी है कि सैन्द्रिय खाद, जिसमें गोबर की एक प्रमुख भूमिका है, का उपयोग बढ़ाया जाए। बिना गौ–संरक्षण के वह संभव नहीं है।

वास्तव में देश से गौ मांस का निर्यात एक भंयकर चिंता का विषय पहले से ही था, लेकिन पिछले 5 वर्षों में मांस के निर्यात में जो अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, उससे यह चिंता और ज्यादा गहरा गई थी। गौरतलब है कि वर्ष 2008–09 और 2013–14 के बीच मांस का निर्यात 5371 करोड़ रूपए से बढ़कर 27247 करोड़ रूपए हो गया, यानि मात्र 5 साल में 5 गुणा से भी ज्यादा वृद्धि। इसमें अधिकतर मांस गौवंश का ही था। देश भर में गैरकानूनी तौर पर गौधन से भरी गाड़ियों

मवेशी हमारे देश के एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं। खेती के लिए ऊर्जा ही नहीं, बल्कि देश में दूध उत्पादन में उनका बड़ा योगदान है–
डॉ. अश्वनी महाजन

की तस्करी के अनेक मामले पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रहे थे। यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसका मतलब है कि इस दौरान बड़ी मात्रा में हमारे मवेशियों को काट कर उनका मांस निर्यात किया गया है।

गौरतलब है कि 1961 में गौरक्षा के संदर्भ में एक बड़ा आन्दोलन भी हुआ और संसद को घेरा गया। उस समय की सरकार ने उस आंदोलन को जैसे–तैसे कुचल दिया; और उसके बाद भी गौरक्षा के प्रयास जारी रहे। गौरक्षा संबंधी कानून भारत के लिए कोई नई बात नही है। अकबर के शासनकाल और उसके बाद भी गौहत्या पर सरकारी प्रतिबंध लगा रहा था। औरंगजेब ने ही इस नियम को भंग किया था। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केन्द्र में शासन सूत्र संभालने के बाद इन प्रयासों में तेजी आई और हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के अधीन आये राज्यों जैसे महाराष्ट्र में गौहत्या पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

गाय का भारतीय समाज में महत्व

देश के संविधान में सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गौरक्षा को शामिल किया जाना, भारतीय समाज में गाय के महत्व का परिचायक है। बहुसंख्यक समाज के लिए गाय पूजनीय है, इसलिए गौवध उनकी भावनाओं को आहत करता है। पंचगव्य और अन्य गाय उत्पादों के औषधीय, पर्यावरणीय और आर्थिक महत्व के चलते गाय का संरक्षण एवं संवर्धन और भी आवश्यक हो जाता है।

घटता पशुधन

पशुधन गणना के आंकड़े सरकार द्वारा समय–समय पर प्रकाशित किए जाते रहे हैं। हाल ही में वर्ष 2012 के लिए पशुधन के आंकड़े भारत सरकार द्वारा प्रकाशित किए गए हैं, जो देश में घटते पशुधन की ओर स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं। वर्ष 2003 और 2007 के बीच जहां हमारे मवेशियों की संख्याओं में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई

डेयरी सेक्टर के विकास से दूध और दूध से बने उत्पादों के निर्यात की भी संभावनाएं बन रही हैं।

वर्ष 2007 और 2012 के बीच उनकी संख्या 4.10 प्रतिशत घट गई। भैंसों की संख्या की संख्या 2003 और 2007 के बीच 7.60 प्रतिशत बढ़ी थी। वहीं 2007 और 2012 के बीच वह केवल 3. 19 प्रतिशत बढ़ी। नर भैंसे 2003 और 2007 के बीच 9.60 प्रतिशत बढ़े, जबकि उनकी संख्या 2007 और 2012 के बीच 17.83 प्रतिशत कम हो गई। यह सही है कि दूधारू गायों की संख्या 2007 और 2012 के बीच 6.5 प्रतिशत बढ़ी और दुधारू मादा भैंसों की संख्या भी बढ़ी, (जो मुख्य रूप से दुध से होने वाली अच्छी आमदनी के कारण हुआ), लेकिन उसमें भी देसी नस्ल पशुओं की संख्या 2007 और 2012 के बीच लगभग 9 प्रतिशत कम हो गई, जबकि इससे पूर्व के कालखंड 2003 और 2007 के बीच वह 3.4 प्रतिशत बढ़ी थी। स्वभाविक ही है कि मांस के निर्यात का देश के पशुधन के घटने के साथ सीधा–सीधा संबंध है। यानि थोड़ी सी विदेशी मुद्रा कमाने के लालच में पिछले कुछ सालों से हमारी सरकार मांस के निर्यात में वृद्धि कर अपने पशुधन को समाप्त करने पर तुली थी। वर्तमान सरकार का गौ–मांस निर्यात पर प्रतिबंध का निर्णय वास्तव में हमारे पशुधन को बचाने का प्रयास माना जा सकता है।

और भी तरीके हैं डालर कमाने–बचाने के

यह सही है कि देश विदेशी मुद्रा की कमी से जूझता रहा है। लगातार बढ़ते आयातों और कहीं कम बढ़ते निर्यातों के चलते हमारा व्यापार घाटा बढ़ता जा रहा था। सोने के आयातों पर अंकुशों और तेल के घटते मूल्य के बावजूद 2014–15 में हमारा विदेशी व्यापार घाटा 138 अरब डालर तक ही घट पाया था। ऐसे में इस घाटे को जैसे तैसे पाटने की जल्दबाजी में मांस निर्यात (वो भी गौ–मांस), किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता।

देश में लगातार प्रगति पर डेयरी सेक्टर के विकास से दूध और दूध से बने उत्पादों के निर्यात की भी संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा आयात किए जा रहे इलैक्ट्रानिक उत्पादों और टेलीकॉम उत्पादों को देश में ही बनाकर हम डालर कमा सकते हैं। देश से निर्यात संवर्द्धन और आयात प्रतिस्थापन की असीम संभावनाएं हैं। यही नहीं गोबर का उचित दिशा में प्रयोग कर सैन्द्रिय खाद बनाई जा सकती है, जिससे अत्यधिक रसायनिक खाद के उपभोग के कारण भूमि को बंजर होने से तो बचाया ही जा सकता है, रसायनिक खाद के आयात पर भी निर्भरता कम की जा सकती है। गौरतलब है कि 2013–14 में देश ने 5.4 अरब डालर की रसायनिक खाद का आयात किया। ऐसे में मात्र 4 अरब डालर के लालच में देश के पशुधन को दांव पर लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। नरेन्द्र मोदी सरकार गौ–मांस के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के इस पावन कार्य के लिए धन्यवाद की पात्र है। ❑❑

अश्लीलता का समर्थन कितना नैतिक?

सरकार ने पोर्न साइट्स पर रोक क्या लगाई, सोशल मीडिया पर दबाव का पहाड़ खड़ा हो गया। कुछ सोशलाइट्स एक टांग पर खड़े हो कर यह चिल्लाने लगे हैं कि सरकार ने इंटरनेट की दुनिया का तालिबानी कर दिया है। कुछ प्रगतिशील लेखकों ने यहां तक कह दिया कि देश में दमन की शुरुआत ऐसे ही होती है। कुछ बड़े नाम वालों को लगता है कि लोकतंत्र की पूरी मर्यादा पोर्न देखने के बाद ही सुरक्षित रह सकती है तो कुछ का कहना है कि यह मोदी सरकार देश में अघोषित आपातकाल लगाने वाली है। सरकार ने आम आदमी की प्रतिक्रिया जाने बिना ही कुछ कथित सोशलाइटों के दबाव में आकर दो दिन में ही प्रतिबंध को उठा लेने की घोषणा कर दी और इस तरह से समाज में फैल चुकी एक बड़ी बीमारी का ऑपरेशन टेबिल पर ही रोक दिया गया। इंदौर के अधिवक्ता और समाजसेवी कमलेश वासवाणी की पहल पर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे इस मामले का पटाक्षेप कर दिय गया। कमलेश दिल्ली के निभर्या कांड से व्यथित होकर 850 पोर्न साइट्स को बंद करने की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिनतक भारत में धड़ल्ले से मोबाईल फोन के जरिए भी पहुंचा जा सकता है। कमलेश का कहना है कि पोर्नोग्राफी के कारण भी देश में बालात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं।

क्या सचमुच पोर्न देखने की छूट ही सामाजिक सरोकार के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। क्यों यह पोर्न ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का माध्यम है। किसी के पास इसका तर्क नहीं जवाब नहीं। सामाजिक पहलुओं की कसौटी पर कसने की भी किसी को फुर्सत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जब तक चारदिवारी के अंदर कोई पोर्न देखता है तब तक इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ समाज के प्रगतिशील लोग भी इसी बात का सहारा ले रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है जब से मोबाईल फोन पर हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा आई है तब से यह पोर्नोग्राफी चारदिवारी की चीज नहीं रह गई है। मोबाईल से ही फिल्में बनाकर वहीं से तुंरत लोगों के बीच प्रसारण करने की घटनाओं की बाढ़ आ गई है। और तो और अब विधानसभा कक्ष में भी पोर्न फिल्में देखी जा रही है। जब कोई बड़ी घटना होती है तब यही सोशल महारथी टीवी चैनलों पर आकर सरकार और सरकारी व्यवस्था को तमाम लानत मलानत भेजते हैं लेकिन जब बात इसकी रोक थाम पर आती है तो

क्या सचमुच पोर्न देखने की छूट ही सामाजिक सरोकार के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। क्यों यह पोर्न ही स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति का माध्यम है–

स्वदेशी संवाद

उनकी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। उनकी आजादी छिन जाती है।

जहां से यह पोर्न की दुनिया इजाद हुई है वहां के हालात और वहां की सरकार की बेबसी का भी किसी को समझने जानने से मतलब नहीं। पोर्न की आजादी को अपनी आजादी से जोड़ कर देखने वालों के लिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून का यह वक्तव्य शायद कुछ मायूस करे पर यह जान लेना ठीक रहेगा कि खुलेपन के लिए विख्यात पश्चिम के प्रमुख देश ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पोर्न के असर की व्यथा किस प्रकार व्यक्त करता है –' एक राजनेता और एक पिता होने के नाते मैं गंभीरता से यह विचार कर रहा हूं कि पूरे ब्रिटेन में पोर्न पर रोक लगाने का समय आ गया है। क्योंकि हम आखिर अपने बच्चों की, उनकी मासूमियत की रक्षा कैसे करेंगे।' यह बेचैनी सिर्फ डेविड कैमरून की नहीं है, हर उस माता पिता या जिम्मेदार शासक की है जिसे अपनी पीढ़ी को तमाम अन्य व्यसनों की तरह पोर्नोग्राफी से भी बचानी है। भारत इसका तेजी से शिकार हो रहा है। आए दिन यह खबर आती है– किसी सोशल साइट्स से हुई दोस्ती फिर प्यार और फिर शारीरिक संबध के बाद अंत में हत्या। हर हत्या के बाद आम नागरिक और आम अभिभावक में अपने बच्चों को लेकर डर और फिर बच्चों का मानसिक प्रताड़ना।

यह सिलसिला तब से और तीव्र हो गया है जब से स्मार्ट फोन और फिर उसमें इंटरनेट की सुविधा आ गई है। घर से लेकर बाजार तक। ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक हमारी युवा पीढ़ी बस वीडियों ही देख रही है। जाहिर है पहले उत्सुकता और फिर लत के कारण पोर्नोग्राफी देखने की घटनाएं भी बढ़ गई हे। यह केवल हम नहीं कह रहे हैं इस पोर्नोग्राफी का धंधा चलान वाले कह रहे हैं कि हमारे देश में चार करोड़ लोग यह पोर्न फिल्में देख रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार ने किसी सर्वे के हवाले से यह कहा है कि भारत में महिलाएं या बच्चियां सबसे ज्यादा पोर्न साइट्स देखती है। ब्राजील और इंडोनेशिया के बाद भारत तीसरा देश है जहां कि महिलाएं सबसे अधिक यानी लगभग 30 फीसदी महिलाएं पोर्न साइट्स देखती है। जाहिर है यह आकड़ा हमारे लिए गर्व की बात नहीं होगी।

भारत में अब इस पोर्न महामारी के प्रति सरकार कुछ गंभीर हुई है, पर दुनिया के कई देश पहले से ही इसके दुष्परिणाम की चर्चा कर रहे हैं और उस पर रोक लगाने की कोशिश कर रहे है। उनमें से ही एक देश मिश्र भी है। 2009 में तब के राष्ट्रपति होसनी मुबारक ने पोर्नोग्राफी पर रोक लगा दी थी। अभी भी वहां पोर्न साइट्स पर प्रतिबंध लगाने की कोशिशें जारी है, पर वहां भी कुछ लोगों की लगातार पोर्न समर्थन मुहिम के कारण रोक असरदार नहीं हो पाई। अब भी वहां ट्वीटर और वीकीपीडिया के बाद सबसे अधिक पोर्न साईट्स ही देखे जा रहे हैं। पोर्नसाइट्स को रोकने का गंभीर प्रयास पूर यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। यूरोपीय यूनियन के अधिकतर सांसद पोर्न के खिलाफ हैं। इस पर रोक लगाने के लिए एक बार विधेयक भी लाया गया। लेकिन खुलेपन के समर्थकों ने इस विधेयक को पारित नहीं होने दिया, लेकिन पोर्न उद्योग के प्रचार पर रोक लगा दी गई है।

अमरीका में भले ही पार्नोग्राफी साइट्स पर रोक नहीं, लेकिन जब राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी बेटियों के फेसबुक पेज बद करने की घोषणा सार्वजनिक करते हैं तो यह समझा जा सकता है कि अमरीकी नागरिक किस तरह इस सोशल मीडिया पर नंगेपन या पोर्नोग्राफी से व्यथित हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि अमरीका में आज से नहीं 1969 से ही पोर्नोग्राफी के खिलाफ सामाजिक आंदोलन चल रहा है। एक पादरी मोर्टन–ए–हिल ने मोरालिटी इन मीडिया के नाम से एक मंच बनाया जो उनके मरने तक पोर्नोग्राफी का विरोध करता रहा। नब्बे के दशक में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने पोर्नोग्राफी का अमरीकी समाज पर असर के अध्ययन के लिए एक कमीशन का गठन किया था जिसे मैसी कमीशन का नाम दिया गया। अटार्नी जनरल एडविन मैसी के नेतृत्व में गठित 11 सदस्यीय समूह ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि पोर्नोग्राफी अमरीकी युवकों के मानसिक सोंच और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अमरीका में अभी भी लगातार इस बात पर विचार चल रहा है कि क्या पोर्नोग्राफी को बंद किया जा सकता है।

पोर्नोग्राफी पर रोक लगाने के मामले में ब्रिटेन ने सबसे ठोस काम किया है। वर्ष 2004 में जब जेन लोंगुर्स्ट की हत्या ग्राह्म कौट्स ने की थी तो यह तथ्य सामने आया था कि कौट्स ने जेन की हत्या करने से पहले हिंसक यौन फिल्म देखी थी और उसमें दिखाई गई एक सीन को दुहराते हुए उसने जेन की गला दबाकर हत्या कर दी थी। तभी से ब्रिटेन में पोर्नोग्राफी पर रोक या उस पर अंकुश लगाने की ठोस कानूनी पहल शुरू हो गई। जेन की मा लिज लोंगुर्स्ट और सरकार ने मिलकर ब्रिटेन में पोर्नोग्राफी पर प्रतिबंध लगाने का अभियान चलाया था। 2009 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल जस्टिस एंड इमीग्रेशन एक्ट 2008 के सेक्शन 63 के तहत यह प्रावधान किया है कि यदि किसी पर पोर्नोग्राफी की फिल्में बांटने, दिखाने या होने का आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है। क्या भारत में इस तरह के कानून नहीं बन सकते। क्या भारत के समाज में इस तरह का जनजागरण नहीं है। है पर सरकार की चेतना उन तक नहीं जाती या फिर उनकी आवाज की गूंज सरकार को नहीं सुनाई देती। ❑❑

'मानवाधिकारियों' की बौखलाहट

पंजाब व कश्मीर की सुरक्षा कसौटी पर

पंजाब के गुरूदासपुर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में मारे गये एसपी बलजीत सिंह सहित आठ पुलिसकर्मियों और छह नागरिकों का क्या कोई मानव अधिकार नहीं था, क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं थी, क्या इनके परिवार वालों पर दुख का पहाड़ नहीं टूट पड़ा है, आतंकवादियों के हाथों मारे गये पुलिसकर्मियों व नागरिकों के परिजनों का दुख–दर्द कौन हरेगा? यह सवाल मानवाधिकार संगठनों और मानवाधिकार के पैरवीकर्ताओं से पूछा जाना चाहिए, यह सवाल न्यायपालिका, सरकार और मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर खड़ी संवैधानिक संस्थाओं से भी पूछा जाना चाहिए जो मानवाधिकार संगठनों द्वारा आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर गैर तथ्यात्मक और प्रत्यारोपित मचाये जाने वाले शोर से प्रभावित हो जाते हैं। क्या हमारे देश के अंदर में विदेशी आतंकवादियों के पक्ष में खड़े होकर पीड़ित पक्ष के न्याय की हत्या नहीं की जाती है? जब भी बड़ी आतंकवादी घटनाओं के बड़े गुनहगारों पर सजा की बात सामने आती है, लेखक, पत्रकार, वकील, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारी हाय–तौबा मचाने लगते हैं। यह प्रक्रिया विदेशी आतंकवादी कसाब से लेकर याकूब मेमन तक चलती है। अभी–अभी याकूब मेमन की फांसी रोकवाने के लिए लेखक, पत्रकार, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड अधिकारी किस प्रकार हाय–तौबा मचाये हुए हैं, यह भी जगजाहिर है, एक उदाहरण है। उस याकूब मेमन की चिंता में सब डूबे हुए हैं, पर जिन 265 लोगों को याकूब मेमन और उसके गुर्गों ने मौत की नींद सुलाया था उनकी जान की कीमत कोई याद क्यों नहीं करता, उन 265 लोगों के परिजनों के दुख–दर्द और न्याय की बात क्यों नहीं होती है। यही कारण है कि हम आतंकवादियों को उसके गुनाह के खिलाफ सही सबक नहीं सिखा पाते हैं और हम आतंकवाद का आसान शिकार बने हुए है, पाकिस्तानी आतंकवादी हमें मुर्गे की तरह हलाल जब चाहे तब कर देते हैं।

गुरूदासपुर आतंकवादी हमले के संदेश और उद्देश्य खतरनाक हैं और हमारी आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं
– विष्णु गुप्ता

निश्चित तौर पंजाब के गुरूदासपुर आतंकवादी हमले के संदेश और उद्देश्य खतरनाक हैं और हमारी आतंरिक सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ी हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अब नये सिरे सुरक्षा एक्सरसाइज करने की जरूरत होगी, खासकर पंजाब और जम्मू–कश्मीर की सुरक्षा की कसौटी पर। निश्चित तौर आतंकवादी हमलों के आतंकवादी पाकिस्तानी थे। जब आतंकवादी पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान से आये थे तब साजिश की सुई आईएसआई की ओर घूमती है। बिना आईएसआई की साजिश के इतना बड़ा हमला संभव हो ही नहीं सकता है। आईएसआई के दो तरह की आतंकवादी–भारत विरोधी योजनाएं हैं। एक जम्मू–कश्मीर के अंदर अमरनाथ यात्रियों पर हमला करा कर देश के सौहार्द को नुकसान पहुंचाना और जमींदोज हुए सिख आतंकवाद को फिर से हवा देना। काफी पहले से ही यह आशंका जतायी जा रही थी कि पाकिस्तान और आईएसआई पंजाब में आई शांति में फिर से

आतंकवाद का जहर घोलने में लगा हुआ है। पंजाब के गुरूदासपुर में हुआ पाकिस्तानी आतंकवादी हमला इसका प्रमाण है। भारत सरकार और पंजाब सरकार की सुरक्षा दृष्टि अब कड़ी होनी चाहिए, उसमें हीलाहवाली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार और पंजाब सरकार को अब विदेशों में बैठे सिख उग्रपंथियों पर विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। विदेशों में बैठे सिख उग्रपंथियों और आईएसआई के बीच अगर कोई सक्रिय और मजबूत संबंध विकसित हो गये तब फिर पंजाब की शांति को बरकरार रखना मुश्किल होगा और एक फिर हमारी राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ेगी। हमें पाकिस्तान से यह उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए कि वह अपने आतंकवादी हथकंडे को छोड़कर भारत के साथ अच्छे संबंध को सुनिश्चित करेगा।

अगर आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक हैं, अगर पाकिस्तान से घुसपैठ कर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है तो इसका एक मात्र गुनहगार किसे माना जाना चाहिए? उत्तर सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही गुनहगार है। पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने देश के आतंकवादियों को भारत या अन्य किसी दूसरे देश में आतंकवादी हमला करने से रोके। पर क्या यह जिम्मेदारी पाकिस्तान निभाता है? यह जिम्मेदारी पाकिस्तान कभी निभाता ही नहीं है। भारत ही क्यों बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी बड़ी, लोमहर्षक और खूनी आतंकवादी घटना घटती है, उसमें किसी न किसी रूप से पाकिस्तान का संबंध पूरी तरह से जुड़ा हुआ होता है। दुनिया के अंदर जहां भी मुस्लिम आतंकवाद जारी है वहां पर पाकिस्तान से ही आतंकवादी आउटसोर्सिंग होती रही है। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हाथ था, रूस के एक भूभाग में जारी आतंकवाद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन के सहायता चलता है, चीन के शिनश्यान में जारी रोहिग्या मुसलमानों का आतंकवाद का ईंधन–पानी पाकिस्तान से मिलता है, ईरान के अंदर सुन्नी मुस्लिम आतंकवाद पाकिस्तान की आतंकवादी आउटसोर्सिंग और संरक्षण पर चल रहा है। ईरान बार–बार कहता है कि उसके यहा आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर सुन्नी मुस्लिम आतंकवादी पाकिस्तान में शरण लेते हैं। ब्रिटेन व फ्रांस के अंदर में घटने वाली आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान के आतंकवादियों के सूत्र जुड़े हुए होते हैं।

मुंबई हमले में पाकिस्तान का सीधा हाथ था। पाकिस्तान के हाथ होने के सबूत भी भारत के पास हैं। भारत ने सबूत भी दिये हैं पर पाकिस्तान भारत के सबूत को नहीं मानता है। मुंबई हमले के बाद भारत के कड़े रुख और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में पाकिस्तान ने मुबंई हमले के गुनहगारों पर कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। शुरूआती समय में ऐसा लगता था कि पाकिस्तान सही में मुंबई आतंकवादी हमले के गुनहगारों को कानूनी सबक देकर अपने यहां आतंकवाद का सफाया करेगा। मुख्य साजिश कर्ता लखवी आज पाकिस्तान की जेल से बाहर है। भारत ने लखवी की आवाज के नमूने सबूत के तौर पर मांगा था पर पाकिस्तान ने आतंकवादी सरगना लखवी की आवाज के नमूने सबूत के तौर पर देने से इन्कार कर दिया। पाकिस्तान अपने बचाव में कहता है कि वह आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई कर रहा है। आतंकवादियों पर कार्रवाई के नाम पर वह अमेरिका–यूरोप से करोड़ों–अरबों की सहायता हासिल करता है। अभी हाल ही में अमेरिका ने आतंकवादी संगठनों पर कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान को अरबों डालर की सहायता मंजूर की है।

दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में सरकार तो जरूर बदलती है पर समर्पणकारी नीति नहीं बदलती है। समपर्णकारी नीति का ही दुष्परिणाम यह है कि पाकिस्तान जब चाहता है तब हमारे देश के अंदर में आतंकवादी हमले करा कर निर्दोष लोगों की जिंदगियां नष्ट कर देता है और ऊपर से पाकिस्तान आंख भी दिखाता है, सीमा पर सैनिक गोलीबारी कर हमारी सेना को भयभीत करता है, सीमावर्ती भारतीय नागरिकों को जान भी ले लेता है। पिछली यूपीए सरकार की पाकिस्तान नीति से देश की जनता आक्रोशित थी और इसका दुष्परिणाम भी यूपीए सरकार को झेलना पड़ा था। देश मे आयी नयी सरकार से उम्मीद थी कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जायेगा, देश की आतंरिक सुरक्षा मजबूत होगी, आतंकवादियों को सीने पर चढ़कर जमींदोज किया जायेगा, जैसे को तैसे का जवाब दिया जायेगा। पर यह उम्मीद नाउम्मीदी मे बदल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी मनमोहन सिंह की तरह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ वार्ता–वार्ता का खेल खेल रहे हैं। हर वार्ता में पाकिस्तान आतंकवादियों को नकेल कसने का आश्वासन देता है, सीमा पर संयम बरते की बात करता है पर वह कभी संयम बरतता नहीं है, आतंकवादी संगठनों पर नकेल डालता नहीं है। जब पाकिस्तान अपना आश्वासन निभाता नहीं व अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं तो फिर पाकिस्तान के साथ वार्ता–वार्ता का खेल क्यों।

अगर हम अब भी नहीं जागेंगे और कड़ा रुख नहीं अपनायेंगे तो फिर हम ऐसे ही पाकिस्तानी आतंकवादियों का आसान शिकार बनते रहेंगे। पंजाब में फिर से सिख आतंकवाद को जीवित करने में अगर पाकिस्तान–आईएसआई कामयाब हो गया तो फिर हमारी राष्ट्रीय एकता–अखंड़ता भगवान भरोसे ही बचेगी। ❑❑

दवाओं के दुष्प्रभाव की चुनौती

एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव की समस्या आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें संदेह नहीं कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने कई क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की है। आज हृदय प्रतिरोपण से लेकर किडनी, गुर्दे और ऑख का प्रतिरोपण संभव हो गया है। मानव मस्तिक की भी सफलतापूर्वक शल्य क्रिया कर दी जाती है। प्लास्टिक सर्जरी से शक्ल–सूरत भी बदल दी जाती है लेकिन जिन रोगों को हजारों वर्ष पूर्व औषधियों के लिए असाध्य घोषित किया गया था उनका दुर्ग टूट नही सका। वे सब–के–सब आज भी औषधियों के लिए असाध्य हैं। उधर रोग और रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यदि हमारे शल्य चिकित्सक अपने उपकरणों को कुछ समय के लिए विश्राम दे दें तो स्पष्ट हो जायेगा कि हम अनेक रोगों के समक्ष निहत्थे है, हमारे पास दवाएं नहीं हैं। औद्योगिक और रसायनिक प्रगति के साथ–साथ मनुष्य पर संघातक रोग हावी होते जा रहे है। इसके अलावा गैस–गैस्टिक जैसे सामान्य कष्टों के उन्मूलन में भी हमारी दवाएं असमर्थ है। दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी आज भी गैस गैस्टिक को कमीज में नीचे छिपाये फिर रही है। हमारी कई दवाएं स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। इनसे रोग पैदा हो रहे है और रोगों की जटिलतायें बढ़ रही हैं। हमारे पास सुयोग्य एवं मेधावी चिकित्सक है, अच्छे अस्पताल हैं, उन्नत उपकरण हैं, लेकिन दवाओं के दुष्प्रभाव को हम खत्म नही कर सके है। पेनिसिलिन एक समय की सम्मानित औषधि थी किन्तु उसके प्रयोग की सावधानियॉ जब तक जन–जीवन तक पहुॅचे तब तक वह डाक्टरों और कम्पाउडरों की झोलियों से उछलकर लाखों लोगों को अपाहिज बना चुकी थी। हमारी कई सम्मानित दवाएं बाद में खतरनाक घोषित हो गयी।

एलोपैथिक दवाएं रसायनों से बनी होती है और सभी रसायन मानव शरीर पर अच्छा और खराब प्रभाव डालते है। कुछ रोगों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं शरीर के दूसरे हिस्से पर खराब प्रभाव अथवा पार्श्व प्रभाव (साइड इफेक्ट) डालती हैं। इसलिए एक रोग के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली औषधि से दूसरा नया रोग पैदा हो जाता है। चिकित्सकों की छानबीन से पता चला है कि एनाल्जिन, बैराल्गन, नोवाल्जिन आदि दवाओं का मूल रसायन एनाल्जिन है। इसके प्रयोग से अग्रेन्यूलोसाइटोसिस नामक बीमारी हो सकती है। इस बीमारी में खून में मौजूद श्वेत कोशिकाओं की संख्या कम हो जाती है क्योकि हड्डियों के भीतर उनका उत्पादन लगभग बंद हो जाता है। ये कोशिकाएं शरीर को रोग के संक्रमणों से बचाती है। इनकी कमी से रोगी की मौत हो जाती है। एनाल्जिन के सेवन से पेट में जलन और छाले की शिकायत सबसे ज्यादा होती है। इससे फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो सकता है और शरीर को लकवा भी मार सकता है। अग्रेन्यूलोसाइटोसिस के कई मामले जयपुर के अस्पताल में सामने आये है। बम्बई के एक डाक्टर के अनुसार उसके यहॉ हर साल अग्रेन्यूलोसाइटोसिस के लगभग बीस मामले आते है। इनका मूल कारण एनाल्जिन जैसी दवाओं का सेवन है। कई देशों ने अपने यहॉ इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा रखा है। कई एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण कई देशों ने अपने यहॉ उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है किन्तु भारत में ये औषधियॉ खुलेआम बिक रही है।

एलोपैथिक दवाएं रसायनों से बनी होती है और सभी रसायन मानव शरीर पर अच्छा और खराब प्रभाव डालते है। कुछ रोगों के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाएं शरीर के दूसरे हिस्से पर खराब प्रभाव अथवा पार्श्व प्रभाव (साइड इफेक्ट) डालती हैं, बता रहे हैं
निरंकार सिंह

चिकित्सा–वैज्ञानिकों ने कई औषधियों के घातक दुष्प्रभाव का पता लगा लिया है। कई दवाओं से लीवर की कोशिकाओं की आकृति बदल जाती है। जिससे उन कोशिकाओं की मौत हो जाती है। ग्लैक्टोसेमाइन पाचन संस्थान (चय–अपचय) में व्यवधान डालती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, पाइरोलिजिडीन आल्कलायड, बेरिलियम, थाइमिन और फास्फोरस से शरीर

की संरचना को क्षति पहुँचती है। थारोएसिटमाइड पाइरोलिजिडीन, टेनिक अम्ल, डी.एम.एन. के कारण न्यूक्लिओब्लाइज्म में परिवर्तन होता है। नाइट्रोसैमाइन से लीवर कोशिकाओं को क्षति पहुँचती है। कार्बन ट्रेटाक्लोराइड और डी.एम.एन. से सिरोसिस होता है। सल्फर– डाइआक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन से फेफड़ों को क्षति पहुँचती है। बेंजीन से शरीर में ल्यूकेमिया हो सकता है। बेन्जिडिन, नेप्थालियीन, अमीनो–बाईपिनाइल, बिनाइल क्लोराइड से त्वचा, फेफड़े और ब्लैडर में कैंसर हो सकता है। नाइट्रेट और नाइट्राइट से लीवर और पेट का कैंसर होता है। क्लोरनेफजाइन से ब्लैडर कैंसर हो सकता है। हिपरिन से हैमरेज तथा पेनसिलिमाइन से ल्मूकोपेनिया हो सकता है, हैप्टेन, एरिथ्रोसाइट, क्लोरोप्रोमेजाइन पेनसिलीन, फेनासिटीन, ल्यूकोसाइट, एमिडोपापरीन क्विनडीन क्लोरोएमिक निकोल से एजर्ली हो सकती है। कई आर्गेनोमैटलिक यौगिको से कोशिका ऊतक या अंग के आकार में परिवर्तन हो जाता है। डिमकिपरौल से हाइपर टेंशन, उबकाई, उल्टी, होठ गले में जलन आदि हो सकती है। एलोपैथ में कोई ऐसा दवा नहीं है जिसका शरीर पर कोई न कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

पोषक ऊर्जा विज्ञान के जनक प्रो. शिवाशंकर त्रिवेदी के अनुसार चिकित्सा की तमाम पद्धतियां ऐसे अखाद्य पदार्थो, ड्रगों अथवा विषों या उपविषों से दवाएं तैयार करती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन यह मानव मेधा का कमाल है कि उसने उल्टी दिशा में जाकर भी कुछ दवाएं तैयार कर ली हैं जो कुछ रोगों का कुछ समय तक दमन कर देती है। डायबिटीज से लेकर हृदय रोग तक तमाम मामलों में रोगी को मरते दम तक दवा का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कैंसर, एडस और थैलीमीसिया जैसे रोगों में जहां

बेन्जिडिन, नेप्थालियीन, अमीनो–बाईपिनाइल, बिनाइल क्लोराइड से त्वचा, फेफड़े और ब्लैडर में कैंसर हो सकता है।

रोगी की जीवनी शक्ति इतनी क्षीण हो चुकी होती है कि वहां किसी भी ड्रग (विष या उपविष से निर्मित) को देना उसके जीवन को और खतरे में डाल देना होगा। इसी कारण से आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन रोगों की चिकित्सा में असफल सिद्ध हुआ है।

चिकित्सा विज्ञान तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों की बेबसी की यही तस्वीर देखकर उन्होंने स्वयं को अपने बड़े भाई डा. उमाशंकर तिवारी के साथ उस क्यूरेटिव एरा की तलाश के लिए अर्पित कर दिया जो वह विज्ञान सामने ले आया जिससे रोगों की स्थायी चिकित्सा शुरू हो सकी। उन्होंने प्रकृति और जीव के जीवन का बहुत ही बारीकी से अध्ययन और अनुसंधान किया। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझा कि मनुष्य को पोषण भोज्य पदार्थों से ही मिलता है जो हमारे बुनियादी चरित्र के अनुकूल है। इसलिए औषधि भी भोज्य पदार्थों में सन्निहित होनी चाहिए। समस्या यह थी कि उसे प्राप्त कैसे किया जाए? उनका आग्रह अन्न, फल, मूल और वनस्पति जातीय पदार्थों की भोज्य ऊर्जा को संकलित कर तथा उसकी क्षमता बढ़ाकर जीवनशक्ति का प्रत्यारोपण करने की तरफ था। प्रत्यारोपण एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि रोगी होता ही वही है जिसकी जीवनी शक्ति क्षीण हो चुकी हो। तमाम दवाएं शरीर की चयापचय प्रणाली (मेटाबोलिज्म) से गुजर कर ही अपना काम करती हैं। किन्तु त्रिवेदी बंधुओं ने अपनी औषधियां एक ऐसी पद्धति से विकसित की हैं, जिसके कारण वे अपने असर के लिए चयापचय प्रणाली पर निर्भर नहीं करती तथा सीधे केन्द्रीय चरित्र को शक्तिशाली करती है। कहना न होगा कि यह कई दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण आविष्कार है, क्योंकि इससे कमजोर और जीर्ण शरीर भी जीवन की ओर वापस आ जाता है।

डीएस रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों के कई वर्षो के प्रयोग और परीक्षण के बाद धीरे–धीरे सफलता हासिल होने लगी तथा यह संभव हुआ कि भोज्य पदार्थो की जो ऊर्जा विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाओं से गुजर कर शरीर को पुष्ट करती है उसे प्रयोगशाला के धरातल पर प्राप्त कर लिया। इसका परीक्षण भी कैंसर के उन मरणासन्न रोगियों पर किया गया, जो सारे उपचार के बाद अस्पतालों से यह कहकर मुक्त कर दिये गये थे कि अब वह कुछ हफ्तों या महीनों के ही मेहमान हैं। इनमें से कई रोगियों को नया जीवन देकर उन्होंने यह साबित कर दिया है कि उनकी सोच और उनका विज्ञान खोखला नहीं था। वे सिर्फ कैंसर पर ही विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं बल्कि एक वैकल्पिक स्वास्थ्य विज्ञान का विकास किया है। जिसमें जोर जीवनी शक्ति को मजबूत बनाकर तमाम तरह के शारीरिक उपद्रवों का मुकाबला करने पर है। उनके इस नये आविष्कार ने चिकित्सा विज्ञान के नये द्वार खोल दिये हैं, जिसमें मानव मंगल की विराट संभावनाएं छिपी हुई हैं। ❑❑

भारत का बदलता स्वरूप कितना सार्थक!

तकनीकि ज्ञान से भारत को समृद्ध बनाने की परिकल्पना को साकार करने का समय अब आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने डिजीटल इंडिया का जो नारा बुलन्द किया है। वह देश के कोने कोने तक दस्तक देने लगा है। गाँव–गाँव का इन्टरनेट से जुड़ना शहरों को बाई–फाई की सुविधा प्रदान करना, समृद्धि और देश को आगे बढ़ने के संकेत है।

''गाँव–गाँव में इन्टरनेट, और शहरों में वाई–फाई, तो देश भला, क्यों न हो हाई–फाई'' यह स्लोगन वर्तमान संदर्भ मैं भारत देश के लिये उपयुक्त है।

सरकार को सभी भाषाओं के साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी ई–एजूकेशन का सपना साकार करना चाहिये क्योंकि देखा ये गया है कि कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग के अधिकांश साफ्टवेयर अंग्रेजी माध्यम के है जिस कारण अन्य भाषाओं के लोग कम्प्यूटर प्रोग्रामिक से जुड़ने में हिचक महसूस करते हैं। वैसे अब लोगों की समझ बढ़ रही है, समय के साथ चलने की ललक लोगों में है। अन्यथा वो जान रहे है कि विकास की मुख्यधारा में हम बहुत पीछे छूट जायेगे। इस कारण इलैक्ट्रानिक ज्ञान की शिक्षा लेने के लिये गाँव का छात्र भी आतुर दिखता है।

अभी हाल में डिजीटल इंडिया सप्ताह में मध्य प्रदेश भी अग्रणी पंक्ति में खड़ा दिखा, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल कक्षाओं के माध्यम से सुदूर ग्रामीण अंचलों के छात्रों से डिजीटल इलैक्ट्रानिक माध्यमों से बात की और उनके समाधान भी सुझाये। कहने का अभिप्राय यह है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में था। परन्तु डिजीटल इण्डिया सप्ताह में जो क्रियाकलाप इस प्रदेश के रहे इससे संस्था नहीं लगता कि मध्य प्रदेश बीमारू प्रदेश भी कभी रहा होगा। जैसा कि आप जानते है कि भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। विशाल जनसंख्या को काम देना आज बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार कर इस पर काम करना सफलता की शुरूआत है। अर्थशास्त्री केनन ने जनसंख्या के प्रति आशावादी मानसिकता के साथ कहा था कि ''बच्चा जब इस संसार में आता है तो एक मुंह के साथ दो हाथ भी लाता है।'' केनन जी का अभिप्राय यह था कि यदि आदमी के उदरपोषड़ के लिये माध्यम मुह है तो उदरपोषड़ के लिये दो हाथ भी उत्पादन के लिये दिये गये है इसका अर्थ यह कदापि नही है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश न लगाया जाये।

वर्तमान शासन व्यवस्था इन दोनों हाथों को काम देने के लिये ही प्रयासरत है जिसने प्रति व्यक्ति

भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। विशाल जनसंख्या को काम देना आज बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार कर इस पर काम करना सफलता की शुरूआत है
– डॉ. जयप्रकाश मिश्र

आय बढ़े जिससे राष्ट्रीय आय तो स्वतः ही बढ़ जायेगी। डिजीटल इंडिया भारत को ज्ञान विज्ञान और तकनीकि से समृद्ध करने की एक योजना है, एक विचार है एक चिंतन है, जिसे आकार रूप में तब्दील करने की सरकार के साथ हम सबकी जबाबदारी है।

ऐसे ज्ञान का कोई अर्थ नही जो व्यक्ति बिना बांटे इस संसार से चला जाये। ज्ञान तो समाज के हर वर्ग में वांटा जाना चाहिये। आज भारत आध्यात्मक और योग के चिन्तन से विश्व गुरू बनने की ओर है। यह हमारे भारतीय चिन्तकों और मनीषियों की सदियों की तपस्या का फल है।

योग दिवस के दो दिन पूर्व 18 जून 2015 को मध्य प्रदेश के पिछड़े जिले छतरपुर में भारतीय योग दर्शन पर एक सेमीनार आयोजित किया गया जिसमें देश के तीन विश्वविद्यालयों के सम्मानीय कुल पतियों ने व्याख्यान दिये।

आज भारत आध्यात्मक और योग के चिन्तन से विश्व गुरू बनने की ओर है। यह भारतीय चिन्तकों और मनीषियों की सदियों की तपस्या का फल है।

इस सेमीनार में ऐसा लगा कि वास्तव में योग और आध्यात्मिक संस्कृति का ज्ञान बांटा जा रहा है। शिमला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. ए.डी.एन.बाजपेई जी ने कहा कि योग तो सम्पूर्ण ब्राह्मण्ड को संचालित करने की जीवन शैली है इसलिये प्रकृति की और लौटो। साथ ही बड़ी ही सहजता से छत्रसाल विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलपति श्री प्रियव्रत शुक्ल जी के लिये संबोधन में ही कहा कि ''उम्र में मुझ से छोटे और ज्ञान में मुझे से बड़े'' ये पक्तियां लोगों के मन को छू गई।

क्योंकि उस सेमीनार में ज्ञान से लबालब लोगों में ज्ञान का अहंकार कही नही दिखा। श्री प्रियव्रत शुक्ल के व्याख्यान में संस्कृत के किस शब्द की उत्पत्ति कहा से हुई से लेकर सांख्य योग तक का चिन्तन सेमीनार में बांटा गया।

इस तरह यदि छोटे–छोटे गाँव कस्बों में सेमीनार आयोजित कर ज्ञान विज्ञान और तकनीकि ज्ञान से कौशल विकास को मूर्त रूप दिया जाये तो वह दिन दूर नहीं जब डिजीटल इंडिया या तकनीकि ज्ञान के माध्यम से समृद्ध भारत की परिकल्पना को आकार किया जा सकता, जिसकी की शानदार शुरूआत डिजीटल इंडिया सप्ताह मना कर की जा चुकी है। अब तो हम सबको अपने आप में कर्तव्य बोध की संस्कृति विकसित करना है जिसके हम अपने ज्ञान को समाज में जितना ज्यादा से ज्यादा बाँट सकते है इसके लिये सार्थक प्रयास करे। ❑❑

:: सदस्यता संबंधी सूचना ::

अधिक जानकारी के लिए देखें :
http://swadeshionline.in/

मान्यवर,

स्वदेशी पत्रिका आज देश में चल रहे स्वदेशी आंदोलनों का स्थापित प्रतीक बन चुकी है। पिछले कई वर्षों से स्वदेशी पत्रिका ने असंगत एवं एकतरफा वैश्वीकरण, जनविरोधी आर्थिक उदारीकरण के विरोध एवं वैकल्पिक और रचनात्मक स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में एक सक्रिय प्रहरी के नाते हमेशा आपको जागरूक बनाया है एवं आपसे संवाद स्थापित किया है। विगत कालखंड में इन सभी मुद्दों पर हमें आप जैसे सजग पाठकों का अपेक्षित सहयोग भी मिलता रहा है और भविष्य में भी मिलेगा ऐसा, विश्वास है।

आपसे आग्रह है कि स्वदेशी पत्रिका की आपकी सदस्यता अवधि यदि समाप्त हो गई हो तो कृपया पिछले समय से आगामी वर्ष तक की राशि धनादेश (मनीआर्डर), चेक एवं मांग पत्र (डिमांड ड्राफ्ट) के माध्यम से शीघ्र भेजने की कृपा करें। पत्रिका के लिफाफे के उपर चिपकाए गए पते की प्रथम पंक्ति में सदस्यता अवधि अंकित है। आप अपनी सदस्यता राशि ''स्वदेशी पत्रिका'' के नाम पत्रिका के कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता अद्यतन न हो पाने की स्थिति में वित्तीय कारणों से पत्रिका आगे जारी रखना कठिन होगा।

सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार है :–

स्वदेशी पत्रिका	वार्षिक	आजीवन
हिन्दी	150 रुपए	1500/– रुपए
अंग्रेजी	150 रुपए	1500/– रुपए

हमें आपका सहयोग स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी एवं जनोन्मुखी बनाने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। कृपया स्वदेशी पत्रिका स्वयं भी पढ़ें एवं अन्य को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। पत्रिका के संबंध में अपना निष्पक्ष विचार हमें अवश्य भेजें।

आप सीधे बैंक ऑफ इंडिया, खाता नं. **602510110002740, IFSC : BKID- 0006025 (Ramakrishnapuram)** में जमा करवा सकते हैं और उसकी रसीद और अपना पता आप कार्यालय में अवश्य भेजे।

स्वदेशी पत्रिका कार्यालय, 'धर्मक्षेत्र' शिव शक्ति मंदिर, सैक्टर–8, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली–22

राष्ट्रीय कृषि बाजार की अभिकल्पना

अंतर्विरोधों से निकलने का मार्ग

सरकार ने कषि व्यापार को कुशल व पारदर्शी बनाने की पहल की है। 'नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट' बनाने की इस पहल का मकसद किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें मजबूती देना है

*– **विजय सरदाना***

बाजार वह वास्तविक या सांकेतिक जगह है, जहां मांग और आपूर्ति से जुड़ी ताकतें काम करती हैं और वस्तुओं, सेवाओं या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स या इंस्ट्रूमेंट्स के व्यापार के लिए खरीदार एवं विक्रेता प्रत्यक्ष या बिचौलिए के जरिए मोलभाव करते हैं। यह सबकुछ पैसे के लिए या फिर बार्टर (वस्तुओं के आदान–प्रदान) के तहत होता है।

बाजार में इन कार्यों से जुड़े साधन होते हैं, व्यापार होने वाली वस्तुओं की कीमतें तय करना, कीमतों से संबंधित जानकारियां देना, सौदा और लेन–देन में सहयोग देना और वितरण सुनिश्चित करना, किसी खास वस्तु के लिए बाजार उन वर्तमान और संभावित ग्राहकों से बना होता है जिन्हें इसकी जरूरत होती है और जिनमें उस वस्तु की खरीद के लिए पैसे चुकाने की योग्यता और इच्छा होती है।

कृषि बाजार में उत्पादों की कीमत से जुड़े सभी भागीदारों को फायदा पहुंचाने के लिए उपरोक्त खासियतों का होना जरूरी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अब 'राष्ट्रीय कृषि बाजार' के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। यह एक उम्दा सोच है, लेकिन व्यापारियों एवं राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य बैठाये बिना इसकी सफलता संदेहास्पद हैं

कृषि उत्पादों के खरीददार के रूप में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के संदर्भ में सबसे पहले आने वाले सवाल ये हैं कि क्या किसान अपने उत्पादों की अच्छी कीमतें मिलने की स्थिति में राज्य के बाहर के ग्राहकों को अपने कृषि उत्पाद बेच सकते हैं? राष्ट्रीय कृषि बाजार के लाइसेंसधारक की पहुंच देश के किसी भी बाजार तक होनी चाहिए, ऐसे में उन्हें अपने राज्यों तक ही क्यों प्रतिबंधित रखा जाता है?

जब देश के सभी लोग जन धन बैंकिंग व्यवस्था के हिस्से हैं, तो कृषि बाजार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कालाधन के पैदा होने को रोकने के लिए नकदी लेन–देन (कैश ट्रांजेक्शन) को क्यों नहीं रोका जाता है?

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पर लेन–देन होने की स्थिति में राष्ट्रीय कृषि बाजार में ट्रेडिंग

की योग्यता के लिए किस तरह की ढांचागत व्यवस्था होनी चाहिए।

वस्तुओं के राज्य से बाहर जाने की स्थिति में क्या राज्य सरकारें उन पर कोई कर लगाएंगी ? क्या राज्यों में एक समान कर ढांचा होगा? प्रस्तावित नए राष्ट्रीय कृषि बाजार के कार्यशील होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के मायने क्या होंगे।

वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए केंद्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत निर्यात की योजना बना रहीं कंपनियों के लिए स्थानीय एपीएमसी से क्या किसी छूट का प्रावधान होगा? अगर हम देश में कृषि बाजार के सुधार के प्रति वास्तव में गंभीर हैं तो राष्ट्रीय कृषि बाजार के निर्माण की प्रक्रिया में उपरोक्त मामलों पर निश्चित रूप से विचार करना होगा। आखिर सरकार के लिए उपभोक्ताओं से जुड़े मामलों पर विचार करना क्यों कठिन होगा?

राजनीतिक दलों के स्थानीय नेताओं और राजनीतिक एजेंटों के लिए वर्तमान एपीएमसी पार्किंग प्लेस बन गए हैं। राज्य सरकारों के लिए एपीएमसी द्वारा होने वाले कर संग्रह राजस्व के बंधे स्रोत हैं।

स्थानीय राजनीतिक व्यवस्था और राज्य सरकारें खास तरह के वाणिज्यिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए एपीएमसी को राजनीतिक हथियार की तरह उपयोग कर रही हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार के क्रियान्वयन के साथ ही उनकी यह स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी।

अधिकतर कालेधन का उपयोग और पुनर्उत्पादन कृषि व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं व व्यवस्थाओं में ही होते हैं। यहां पर यह सवाल उठना लाजिमी है कि अब जबकि जन धन बैंकिंग व्यवस्था सफल हो गई है, ऐसे में क्या सरकार कृषि उत्पाद के नगद लेन–देन को

जन धन बैंकिंग व्यवस्था सफल हो गई है, ऐसे में क्या सरकार कृषि उत्पाद के नगद लेन–देन को खत्म करेगी?

खत्म करेगी? यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मोबाइल आधारित ट्रांजेक्शन इस व्यवस्था को और अधिक आसान बनाने का काम करेगा।

कृषि व्यापारिक व्यवस्था में मनी पॉवर और राजनीतिक दबदबे को देखते हुए कुशल और पारदर्शी राष्ट्रीय कृषि बाजार का निर्माण करना सरकार के लिए जमीनी स्तर पर सबसे बड़ी राजनीतिक जीत और आर्थिक सुधार होगा।

कृषि बाजार के लिए क्या है आगे की राह

भारत सरकार इस प्रक्रिया में डब्ल्यूटीओ के कई वर्तमान सिद्धांतों पर विचार करते हुए स्थानीय कृषि बाजार को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के प्रयास के तहत उन्हें अपना सकती है। हालांकि डब्ल्यूटीओ के तहत इस वक्त वैश्विक स्तर पर साफ–सुथरी व्यापारिक व्यवस्था चल रही है, यह कहना कठिन है। लेकिन फिर भी कुछ प्रावधान काफी हद तक साफ–सुथरे हैं। इसमें बड़ी समस्या यह है कि सदस्य देश अपने स्थानीय राजनीतिक और आर्थिक कारणों से इन सिद्धांतों का सही अर्थों में पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे विश्व बाजार व्यवस्था में विकृति आई है।

यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या भारत सरकार कुशल और पारदर्शी राष्ट्रीय कृषि बाजार सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों को एक मंच पर लाएगी? अगर ऐसा संभव होता है तो यह ग्रामीण आबादी के फायदे के लिए सबसे बड़ा सुधार होगा। यह ग्रामीण भारत में बुनियादी संरचना सुविधाओं के निर्माण, कौशल विकास के क्षेत्रों में निवेश के मामले में भी सबसे बड़ा प्रेरक तत्व साबित होगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे जीडीपी में 3–5 फीसदी का उछाल आएगा और सभी राज्य सरकारों के कर संग्रहों में इजाफा होगा। राज्य स्तर पर योजनाकारों और निवेशकों के लिए यह बेहतर दृष्टि उपलब्ध कराएगा।

हमें यह अवश्य दिमाग में रखना चाहिए कि यह एक मात्र ऐसा सुधार है जिसका कृषि उत्पाद के हर एक उपभोक्ता की जिंदगी को प्रभावित करेगा। इसका मतलब है कि इससे देश के 1.27 अरब लोग प्रभावित होंगे।

यह स्वतंत्रता के बाद से किसी भी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह हर किसी को अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा। ❑❑

स्किल इंडिया
रोजगारपरक कौशल विकास का महाअभियान

केंद्र सरकार का एक बड़ा मिशन है– स्किल इंडिया। रोजगारपरक कौशल विकास का यह महा अभियान–प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना– एक साथ १०१ शहरों में शुरु होने जा रही है। क्या यह क्षण भारत के भविष्य की एक नई तस्वीर रचने में सफल हो सकेगा?

– ज्ञानेंद्र नाथ बरतरिया

भारत में एक करोड़ 25 लाख नए युवा हर साल रोजगार की तलाश में घर से निकलते हैं। यह संख्या हर साल बढ़ रही है। भारत युवा देश है, और युवा देश होने का एक पहलू यह भी है कि यहां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना एक चिंता का विषय है। एक पहलू और भी है। मान लीजिए किसी किसान के या कारीगर के चार बेटे हैं और कोई दूसरा रोजगार न मिल पाने पर वे भी अपने पिता के ही काम में शामिल हो जाते हैं। जो काम एक व्यक्ति करता था, वही काम पांच करने लगते हैं। यानी उनमें से कम से कम चार के पास वास्तव में कोई काम नहीं होता है, वे बेरोजगार होते हैं, लेकिन रोजगारशुदा नजर आते हैं। सिर्फ मजदूरों के बच्चे नहीं, दुकानों पर, कंपनियों में और अन्य जगहों पर भी, ऐसे लोग रोजगार में लगे नजर आते हैं, जिनके काम से उत्पादकता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। यह प्रछन्न बेरोजगारी की समस्या है, जो 1 करोड़ 25 लाख के आंकड़े को और गंभीर बना देती है। कैसे मिलेगा इन्हें रोजगार? जवाब सिर्फ रोजगार के नए और उत्पादक अवसरों में है। और रोजगार अवसर मुहैया कराने की हमारी क्षमता कैसी है? (तत्कालीन) योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार, 2004–05 से 2009–10 तक, पांच वर्षों में भारत में रोजगार के मात्र 27 लाख नए अवसर पैदा हुए हैं, जबकि आवश्यकता लगभग 6 करोड़ अवसरों की थी। इतना ही नहीं, 2009–10 में 1 करोड़ 57 लाख लोग कृषि क्षेत्र से बेरोजगार हुए, और लगभग 72 लाख लोग विनिर्माण क्षेत्र से। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हमें रोजगार के नए अवसरों का सृजन कर सकने की अपनी क्षमता तेजी से बढ़ानी होगी।

कई युवा शिक्षित भी हैं लेकिन उन्होंने जो कुछ पढ़ा–लिखा–सीखा है, उसमें से रोजगार दिलाने लायक कम ही है। और जो रोजगार में हैं, उन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा से कोई लाभ बहुत कम ही होता है। वास्तव में रोजगारशुदा लोगों में से सिर्फ 2.3 प्रतिशत ऐसे हैं, जिन्हें अपने काम की दक्षता किसी शैक्षणिक कार्यक्रम से औपचारिक तौर पर मिली हो। बाकी सब चलते काम में हाथ बंटाने की स्थिति में हैं। इसके विपरीत, दुनिया के विकसित देशों में 75 प्रतिशत से लेकर 96 प्रतिशत तक लोग अपने कार्य के बारे में औपचारिक तौर पर दक्ष हैं।

फिर हम दुनिया के सबसे युवा देश भी हैं। आज की स्थिति में भारत की जनसंख्या में पाया जाने वाला सबसे बड़ा आयु वर्ग 27 वर्ष की औसत उम्र के लोगों का है, जो चीनियों से औसत उम्र में 10 साल कम है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के अनुसार भारत में लगभग 36 करोड़ लोग 10 से 24 वर्ष की बीच की आयु के हैं, जो अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। 2020 तक भारत की जनसंख्या की औसत आयु 29 वर्ष होगी, जबकि औद्योगिक देशों में यही आयु 40 से 50 वर्ष के बीच होगी।

ऐसा नहीं है कि बाजार में नौकरियां नहीं हैं। लेकिन आवश्यकता से कम हैं, प्रायः असंगठित क्षेत्र में हैं, उनमें आमदनी भी मामूली है और उत्पादकता भी मामूली है। कोई होनी–अनहोनी हो जाए, तो वह नौकरी कोई दिलासा देने की स्थिति में भी नहीं होती।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने युवा देश के इस पक्ष का कई बार जिक्र किया है। यहां प्रश्न सिर्फ युवाओं को किसी कार्य की दक्षता देने का नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा रोजगार

दिलाने का है, जो वास्तव में आय का सृजन करता हो। रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए एक ओर तो नए–नए उद्योग–धंधे चाहिए, और दूसरी ओर उनमें काम करने के इच्छुक युवाओं में काम कर सकने की दक्षता चाहिए। तीसरे और थोड़े बारीक स्तर पर, ऐसे लोग भी चाहिए, जो उद्योग शुरु करने में उत्सुक हों, उसकी क्षमता रखते हों। फिर रोजगार को कम से कम इस लायक तो होना ही चाहिए कि वह किसी अनपेक्षित स्थिति में अपने श्रमिकों की, उनके परिवार की कुछ चिंता कर सकता हो।

लिहाजा, इस समस्या से एक साथ कई स्तरों पर निपटा जा रहा है। आशा है कि मेक इन इंडिया का विश्व व्यापी अभियान भारत में नए उद्योग–धंधों की आवश्यकता को एक हद तक पूरा करने में सफल रहेगा। दूसरे स्किल इंडिया अभियान भारत के युवाओं को या इनकी मदद से शुरु होने वाले अन्य उद्योगों में रोजगार दिलाने में सफल रहेगा। स्मार्ट सिटीज का अभियान विशेषकर इन नए उद्योगों और उनमें काम करने वालों की रिहाइश और उनके शहरीकरण की आवश्यकताएं पूरी करेगा। किसी होनी–अनहोनी की स्थिति से निपटने में प्रधानमंत्री की विविध बीमा योजनाएं मददगार रहेंगी। जैसेदृजैसे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटी के अभियान गति पकड़ते जाएंगे, प्रधानमंत्री की बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य योजनाओं में कुछ ऐसे नए पहलू जुड़ते जाएंगे, जो कई उद्देश्यों को एक साथ पूरा कर रहे होंगे। इस तरह की कई परियोजनाएं एक साथ काम करेंगी, तब युवाओं के रोजगार और उनकी खुशहाली का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। प्रधानमंत्री ने इससे भी बड़ा लक्ष्य देश के सामने रखा है। उन्होंने देश का आह्वान किया है कि वह भारत को कौशल का वैश्विक केन्द्र बनाने का संकल्प ले। वह भारत को मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण का वैश्विक केन्द्र बनाने का इरादा पहले ही जता चुके हैं। जाहिर है, एक के बिना दूसरे की गति नहीं है। सरकार का लक्ष्य 2022 तक 15 करोड़ भारतीय युवाओं को काम का हुनर, कुशलता, दक्षता या स्किल सिखाना है।

लेकिन अगर सभी नौकरी मांगेंगे, तो नौकरी देगा कौन? आप सिर्फ विदेशी नियोक्ताओं पर निर्भर नहीं रह सकते। निश्चित रूप से कुछ लोगों को तो आगे आना ही होगा कि हम बायो–डाटा देंगे नहीं, बल्कि लेंगे यानी उनको उद्यमी बनना पड़ेगा। यहां उद्यमिता के विकास का पक्ष सामने आता है। सरकार ने इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक साथ देने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय स्थापित किया है। इस स्किल इंडिया अभियान में 20 से अधिक केन्द्रीय मंत्रालय, 70 से अधिक योजनाएं बनाकर काम कर रहे हैं।

गौर करें तो सारी गतिविधियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे की पूरक हैं। गंगा की सफाई और राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, और यहां तक कि कृषि संबंधी योजनाएं भी अंततः इसी बेहतर और संपन्न–समर्थ भारत के निर्माण की दिशा में जाती हैं। ऐसे में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत वाले दिन ही नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक बुलाई जिसमें मुख्यमंत्रियों के साथ भूमि अधिग्रहण विधेयक पर भी चर्चा की गई।

चुनौती मात्र इतनी नहीं है। कौशल विकास का कार्य बहुआयामी है। इसमें केन्द्र और राज्य– दोनों सरकारों की भूमिका होती है, उनके विभिन्न विभागों की भूमिका होती है। सिर्फ सरकार ही नहीं, कई उभरते क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें कौशल का प्रशिक्षण देने वाले लोग निजी क्षेत्र से बुलाने होते हैं। नियोक्ताओं को भी इस अभियान से जोड़ना होता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है, जब नई तकनीक के लिहाज से कर्मियों को प्रशिक्षित करने के साथ ही, नियोक्ताओं को भी प्रशिक्षित करना होता है। सारे कार्यक्रम की प्रभावशीलता को लेकर भी अतिरिक्त सतर्कता बरतनी आवश्यक होती है। रोजगार का बाजार अंततः सेवाओं और वस्तुओं के देसी–विदेशी बाजार पर निर्भर होता है, लिहाजा वित्तीय और अन्य नीतियां भी इससे जुड़ती हैं। शिक्षण संस्थानों से लेकर प्रशिक्षकों तक और नियोक्ताओं से लेकर उद्योगों तक की भागीदारी और सहयोग एक साथ निश्चित किया जाना अनिवार्य होता है। कोई संदेह नहीं कि हम एक अनूठे रास्ते पर बढ़ चले हैं। लेकिन वास्तविक कौशल अड़चनों को दूर करके आगे निकलने में ही है। भारत को अपना यह कौशल विकसित करना है, सिद्ध करके दिखाना है। ❑❑

लेखक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वरिष्ठ पत्रकार हैं।

किसानों की खुशहाली और सबको सेहतमंद खाद्य उत्पाद देने का मिशन है मृदा सेहत कार्ड

अपने सूखे खेत में कृषि भूमि की निरंतर गिरती उर्वरता को देख किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें बढ़तीं जा रही हैं। मुश्किल हालात में किसानी कर रहे किसान की हालत समझी जा सकती है। लेकिन बदले हुए परिदृश्य में कृषि अधिकारी ऐसे किसानों के खेत की मिट्टी का नमूना लेकर किसानों को बता रहे हैं कि किस तरह से इस जांच के बाद वह खेतों में सही मात्रा में खाद डाल सकेगा, किस तरह भूमि की उर्वरता और पोषण बेहतर होगा और अच्छी पैदावार के साथ उसकी आय भी बढ़ सकेगी जो पर्यावरण के भी अधिक अनुकूल होगी। इसी सोच के चलते प्रधानमंत्री ने इसी साल 19 फरवरी को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ में राष्ट्रव्यापी 'राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड' यानि सॉयल हेल्थ कार्ड योजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री का कहना है कि 'वंदे मातरम राष्ट्र गान' की 'सुजलाम–सुफलाम' भूमि बनाने का सपना पूरा करने के लिए मिट्टी के नियमित परीक्षण और उसके पोषण जरूरी है, सॉयल हेल्थ कार्ड इसी सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिये जाने के लिये राज्यों को सहयोग देना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान देश भर में लगभग 14.5 करोड़ किसानों को राष्ट्रीय मृदा सेहत कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। वहीं, इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2014–15 में लगभग 3 करोड़ किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया। तीन साल बाद मृदा सेहत कार्ड का नवीकरण भी किया जायेगा, ताकि इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाले तरह–तरह के फायदों का सिलसिला आगे भी जारी रह सके। इस योजना की थीम है, स्वस्थ धरा, खेत हरा। जानकारों के अनुसार कुछ राज्यों ने सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किए भी है, परंतु इसमें राज्यों के बीच नमूने लेने, जांच करने और सॉयल हेल्थ कार्ड वितरण करने में कोई समान प्रतिमान नहीं थे। यह पहली बार है जब भारत सरकार ने सॉयल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने और सॉयल स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करने के लिए राष्ट्रव्यापी सॉयल हेल्थ कार्ड योजना प्रारंभ की है जो तीन वर्ष की अवधि में एक बार 14 करोड़ जोतों को कवर करेगी। इसी सिलसिले में कृषिमंत्री राधा मोहन सिंह ने सॉयल हेल्थ कार्ड की जानकारी देने वाले एक पोर्टल सहित कृषि क्षेत्र से संबंधित दो अन्य पोर्टल भी शुरू किये हैं।

प्रधानमंत्री का कहना है कि 'वंदे मातरम राष्ट्र गान' की 'सुजलाम–सुफलाम' भूमि बनाने का सपना पूरा करने के लिए मिट्टी के नियमित परीक्षण और उसके पोषण जरूरी है, सयल हेल्थ कार्ड इसी सपने को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर के किसानों को सयल हेल्थ कार्ड दिये जाने के लिये राज्यों को सहयोग देना है – **जे. सुनील**

किसान इस योजना के तहत अपने–अपने खेतों की मिट्टी की जांच करा सकते हैं। योजना के अंतर्गत किसानों को विशेष फसल के हिसाब से खाद का उपयोग करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है ताकि खेतों में ज्यादा खाद डालने की प्रवृत्ति पर रोक लग सके। यह योजना देश भर में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के साथ–साथ किसानों की समृद्धि का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। किसानों द्वारा प्राथमिक पोषक तत्वों (एनपीके) के लिए सामान्य उर्वरक सिफारिशों का अनुसरण किया जाता है। तथापि, गौण एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को प्रायः अनदेखा किया जाता है इस कारण सल्फर, जिंक और बोरोन जैसे पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। यह खाद्य उत्पादकता बढ़ाने में एक बाधक घटक बन जाता है। इसे ध्यान में

रखते हुए, भारत सरकार सॉयल जांच आधारित संतुलित एवं उचित रसायनिक उर्वरकों के प्रयोग के साथ–साथ जैव उर्वरकों और स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक खादों को बढ़ावा दे रही है।

मृदा यानि कृषि भूमि की सेहत और खाद के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के चलते किसान आम तौर पर नाइट्रोजन का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, जो न सिर्फ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के लिए खतरनाक है बल्कि इससे भूमिगत जल में नाइट्रेड की मात्रा भी बढ़ जाती है। इससे पर्यावरणीय समस्याएं भी पैदा होती हैं। मृदा सेहत कार्ड के जरिए इन समस्याओं से बचा जा सकता है क्योंकि इस योजना से किसानों को विभिन्न सुविधाएं देने के लिये डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगी। विस्तृत आंकड़ों के आधार पर पूरे देश में मिट्टी की गुणवत्ता का नक्शा भी तैयार किया जाएगा।

अच्छी कृषि पैदावार लेने के राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत लांच की गई मृदा सेहत कार्ड योजना के तहत देश भर में मिट्टी या मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोली जा रही हैं। ये मृदा सेहत कार्ड कंप्यूटराइज्ड होंगे। फिलहाल ज्यादातर जगहों पर हाथ से भर कर मृदा सेहत कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। मृदा सेहत कार्ड में मिट्टी की सेहत के संकेतकों और उससे जुड़ी शब्दावली का ब्योरा होता है। ये संकेतक किसानों के व्यावहारिक अनुभवों और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। इस योजना पर काम शुरू हो चुका है। फिलहाल कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना के फलस्वरूप खाद का अनावश्यक उपयोग रुकेगा और देश के किसी भी हिस्से में स्थित मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी एक क्लिक पर मिलने लगेगी। वैसे तो मृदा सेहत कार्ड पहले भी किसानों को जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन इसमें अब कुछ परिवर्तन किए गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक, मार्च 2012 तक किसानों को 48 करोड़ से भी ज्यादा मृदा सेहत कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 12वीं योजना के दौरान 568.54 करोड़ रू. व्यय की मंजूरी दी गई है। वर्तमान वर्ष (2015–16) के लिए 96.46 करोड़ रूपये (केंद्रीय अंश) का आवंटन किया गया है। इस योजना का क्रियान्वयन 50रू 50 के अनुपात में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के योगदान के आधार पर किया जाएगा।

राष्ट्रीय सहमति के प्रतिमानक 10 हैक्टेयर वर्षा सिंचित क्षेत्रों से और 2.5 हैक्टेयर सिंचित क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने के संकलन के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। किसानों से 2.53 करोड़ नमूने संकलित किए जायेंगे और तीन वर्ष में एक बार 14 करोड़ एसएचसी तैयार करने के लिए इनका परीक्षण किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के लिए 84 लाख नमूनों का लक्ष्य है जिसकी तुलना में 34 लाख नमूने पहले से एकत्रित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से 2.48 लाख नमूने लेने और मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करने की योजना बनाई है। ये नमूने सिंचित इलाकों में प्रत्येक 2.5 हेक्टेयर क्षेत्र से और वर्षा आधारित क्षेत्रों में प्रत्येक 10 हेक्टेयर क्षेत्र से लिए जाएंगे। इस योजना के तहत 75 फीसदी राशि का व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी।

मृदा सेहत कार्ड योजना के तहत पोषक तत्वों का प्रभावकारी इस्तेमाल बढ़ाने के लिए विभिन्न जिलों में पोषण प्रबंधन आधारित मृदा परीक्षण सुविधा विकसित करने के साथ–साथ इसे बढ़ावा दिया जाएगा। पोषण प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए जिला एवं राज्य स्तरीय कर्मचारियों के साथ–साथ प्रगतिशील किसानों की क्षमता का भी उपयोग किया जाएगा। इसके तहत विभिन्न जिलों में तालुका प्रखंड स्तरीय उर्वरक संबंधी सुझाव तैयार किए जाएंगे। इसी तरह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के संपर्क में क्षमता सृजन के अलावा कृषि विज्ञान के छात्रों को शामिल करके मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के कार्यकलापों को सशक्त बनाया जाएगा। 'सीखते हुए कमाओ' बैनर के तहत विज्ञान महाविद्यालयों तथा सामान्य विश्वविद्यालयों के रसायन विभागों के विद्यार्थियों द्वारा भाग लेने का भी प्रस्ताव है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत अगले तीन वर्षों के दौरान कुल 13,99,99,987 कार्ड जारी किये जाने का लक्ष्य है। इसमें उत्तर प्रदेश में 2,33,19,490 कार्ड, राजस्थान में 70,05,645 कार्ड, मध्य प्रदेश में 90,23,337 कार्ड, बिहार में 1,64,66,885 कार्ड, हरियाणा में 16,44,824 कार्ड और पंजाब में 10,70,463 कार्ड जारी किए जाने की संभावना है। इसी तरह देश के अन्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को भी मृदा सेहत कार्ड जारी किए जाएंगे। इस क्षेत्र के कुछ जानकारों का यह भी सुझाव है कि समयत्र पर फसलों में लगने वाले कीड़ों एवं उन्हें होने वाली बीमारियों का भी उल्लेख संबंधित कार्ड में किया जाना चाहिए, ताकि इस बारे में किसानों के लिए पहले से ही सुरक्षात्मक कदम उठाना सम्भव हो सके। इसी तरह खेती–बाड़ी में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में भी जानकारी सुलभ कराई जानी चाहिए, जिससे कि इस दिशा में भी सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें। इन जानकारों का कहना है कि कुल मिलाकर समग्र सोच के साथ मृदा सेहत कार्ड योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि किसानों का सही अर्थों में भला हो सके और इसके साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों का उपयोग करने वाली आम जनता के स्वास्थ्य की भी अनदेखी न हो। ❑❑

'श्री जे. सुनील वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अब सौर ऊर्जा से रेल चलाने की योजना

रेलमंत्री सुरेश प्रभु का कहना है कि खनिज ईंधन के व्यापक इस्तेमाल के कारण पारिस्थितिकीय प्रणाली को अपूरणीय क्षति होती है तथा इससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तपन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यही कारण है कि ऊर्जा संबंधी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित ऊर्जा मिश्रण तैयार करने और वैकल्पिक उपायों को ध्यान में रखते हुए विश्व भर में प्रयास किए जा रहे हैं। रेलवे के लिए एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा को अपनाकर हम इसे और भी अधिक हरित बनाना चाहते हैं। भारतीय रेल ऊर्जा का एक सबसे बड़ा उपभोक्ता है और इसलिए यह आवश्यक है कि रेलवे को ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की ओर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिजली की खपत घटाने के उद्देश्य से भारतीय रेल ने अक्षय ऊर्जा, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा के किफायती उपायों को अपनाने की ओर ध्यान दिया है। रेलमंत्री ने बताया कि इस वर्ष के रेल बजट में इस बात की घोषणा की गई है कि भारतीय रेल अगले पांच वर्षों में 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा और इसे कार्यान्वित करने के लिए समुचित उपाय किए गए हैं। श्री प्रभु ने कहा कि रेलवे ने सौर, बिजली पैदा करने के लिए रेलवे के भवनों की छतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हमने रेल के डब्बों की छतों पर सौर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पहल शुरू की है। ऐसे उपायों को अपनाया जा रहा है और उनका इस प्रकार विस्तार किया जा रहा है ताकि इनसे महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हो सकें।

रेलमंत्री सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रारूप के अधीन सौर बिजली उत्पादन के लिए विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के दोनों तरीके– सौर वोल्टेइक सेल और सौर थर्मल पर काम करने की जरूरत है। प्रौद्योगिकी के भंडारण की भी जरूरत है। श्री प्रभु ने कहा कि भारतीय रेल को कार्बन उत्सर्जन घटाने की दिशा में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए और इस दिशा में बढ़–चढ़कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चर्चाओं और प्रस्तुतियों से रेलवे को एक दीर्घकालिक नीति तैयार करने और सौर ऊर्जा का लाभ प्राप्त करने के लिए एक मार्गनिर्देश बनाने में मदद मिलेगी।

रेल बोर्ड के अध्यक्ष श्री ए.के. मित्तल के अनुसार पृथ्वी की जलवायु बदल रही है और इस प्रकार का जलवायु परिवर्तन परिवारों और व्यवसायों के साथ–साथ परिवहन, ऊर्जा आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधाओं को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमें प्राथमिकता के तौर पर जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए उपाय करने चाहिए। ग्रीनहाऊस गैस उत्सर्जन में कमी लाना वैश्विक तपन की त्रासदी से मुकाबला करने के तरीकों में एक होगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की परतों के हटने और ग्रीनहाऊस गैस का उत्सर्जन बढ़ने के कारण अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के अधिक से अधिक इस्तेमाल पर जोर देने की आवश्यकता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीके में व्यापक तौर पर बदलाव लाने की आवश्यकता है तथा इसके लिए इसके लिए पारंपरिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा तथा अक्षय ऊर्जा संबंधी प्रौद्योगिकियों के न्यायसंगत मिश्रण पर जोर देना चाहिए। भारतीय रेल द्वारा अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल से इस संगठन को ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त होगी। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बनी अपनी समर्थनकारी ऊर्जा प्रणाली विकसित करने के लिए एक अच्छी रणनीति बनानी होगी। भारतीय रेल के लिए पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और जैव इंधनों जैसे ऊर्जा स्रोतों के साथ–साथ अनेक अक्षय ऊर्जा के विकल्प मौजूद हैं। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा भारतीय रेल की संकर्षण गैर–संकर्षण ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। ❑❑

जीएसटी नहीं तो नौ लाख करोड़ का नुकसान

वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) को लेकर कांग्रेस के विरोध से देश की अर्थव्यवस्था को एक साल में करीब नौ लाख करोड़ रुपये की कीमत चुकानी होगी। यही नहीं, चीन समेत कई ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं की सुस्त रफ्तार के बाद भारत पर निगाह लगाए बैठे विदेशी निवेशकों से आने वाले संभावित निवेश का भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नौ साल की मशक्कत के बाद बनी आम सहमति के बावजूद कांग्रेस के अडियल रुख के कारण राज्यसभा में जीएसटी से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के पारित कराने की सरकार की आखिरी कोशिश भी सफल होती नहीं दिख रही है। हालांकि खुद कांग्रेस ने बीते बजट सत्र के आखिर में इस विधेयक को राज्यसभा की प्रवर समिति को सौंपने और उसे मानसून सत्र के पहले सप्ताह में पारित कराने का भरोसा दिलाया था।

मैगी पर नेस्ले से 640 करोड़ रु. वसूलेगी सरकार

मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया से सरकार 640 करोड़ रुपये का हर्जाना वसूलेगी। इसके लिए

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटारा आयोग (एनसीडीआरसी) में मंगलवार को मामला दर्ज करा दिया गया। हर्जाने का दावा कारोबार में उचित तरीका नहीं अपनाने, झूठा लेबल लगाने और भ्रामक विज्ञापन के आधार पर किया गया है। कंपनी के खिलाफ मामला लगभग तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत दर्ज कराया गया है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, श्हमने पहले ही मैगी मुद्दे को लेकर एनसीडीआरसी में नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की सिफारिश कर दी थी। उन्होंने लेकिन यह कहा कि सोमवार को संसद में पेश उपभोक्ता संरक्षण विधेयक उपभोक्ताओं की शिकायत के समाधान को और प्रभावी बनाएगा। उधर, सरकार के कदम पर नेस्ले इंडिया के प्रवक्ता ने कोई टिप्पणी नहीं की। प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी को इस मुद्दे पर अभी कोई सूचना ही नहीं मिली है।

पीएफ निपटारा अब महज 20 दिन में

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने दावों के नपटारे में तेजी लाई है। पीएफ, पेंशन और इंश्योरेंस के दावे 20 दिन के भीतर निपटा दिए जाएंगे। अब तक यह समयसीमा 30 दिन थी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी एक रिलीज में कहा गया है कि ईपीएफओ ने जुलाई में दावे निपटाने की समयसीमा संशोधित करके 20 दिन कर दी थी।

गूगल की कमान भारतीय के हाथ

गूगल ने एक नई कंपनी बनाई है जिसका नाम है– अल्फाबेट इंक। गूगल की सभी गतिविधियां अब इसी कंपनी

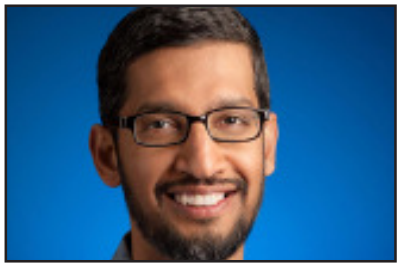

के तहत संचालित होंगी। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई अब गूगल के सीओ होंगे। चेन्नई में जन्मे सुंदर ने आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। वे पिछले 11 साल से (2004 से) गूगल के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें अच्छा मैनेजर माना जाता है। पिचाई अभी गूगल में वाइस प्रेसीडेंट पद पर थे और उन्हें रिस्ट्रक्चरिंग के तहत गूगल का सीईओ बनाया गया है। उनके पिता एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहे हैं।

केरोसिन सब्सिडी 12 रु. और एलपीजी 18 रु.

सरकार ने केरोसिन पर सब्सिडी भुगतान 12रु. प्रति लीटर और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) सिलेंडर पर 18रु. प्रति किलो तय की है। यह बात पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। केरोसिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए 14.96रु. प्रति लीटर पर बेचा जा रहा है जबकि इसकी वास्तविक लागत 29.91 रु. है। दोनों के बीच 14.95 रु. प्रति लीटर का फर्क है जिसे राजस्व नुकसान या लागत से कम वसूली कहा जाता है। उन्होंने कहा सरकार केरोसिन की वास्तविक लागत और राशन में बिक्री मूल्य के अंतर की भरपाई के लिए 12

रु. उपलब्ध करायेगी जबकि शेष 2.95 रु. का बोझ तेल उत्पादक कंपनियों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड उठाएंगी। इसी तरह हर 14.2 किलो के सब्सिडीशुदा एलपीजी सिलिंडर पर लागत से कम वसूली 167.18 रुपए है। सब्सिडीशुदा रसोई गैस सिलिंडर की मौजूदा कीमत 417.82 रुपए है। इस लिहाज से मौजूदा दर पर लागत से कम वसूली की पूरी भरपाई तय सब्सिडी सीमा के दायरे में है।

चीन ने किया युआन का अवमूल्यन

अर्थव्यवस्था की सुस्ती और घटते निर्यात से निपटने के लिए चीन ने चौंकाने वाला कदम उठाया है। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने मंगलवार को अपनी मुद्रा युआन का दो फीसद अवमूल्यन (डिवैल्युएशन) कर दिया। युआन के मूल्य में वर्ष 1994 के बाद से एक दिन में आई यह सबसे बड़ी गिरावट है। चीन की केंद्रीय बैंक के इस कदम से युआन अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले सस्ता हो गया है। कमजोर युआन से विदेशी बाजार में चीन के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। चीन को इसका फायदा निर्यात में बढ़ोतरी के रूप में मिलेगा।

पहला 'मेड इन इंडिया' स्मार्टफोन

स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी शियोमी ने सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'मेक इन इंडिया' का भागीदार बनते हुये भारत निर्मित पहला स्मार्टफोन रेडमी–2 प्राइम लांच किया, जिसकी कीमत 6999 रु. है। शियोमी के अंतरराष्ट्रीय कारोबार के उपाध्यक्ष ह्युगो बारा, शियोमी इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनु जैन और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव अमिताभ कांत की उपस्थिति में आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडु ने इस फोन को पेश करने के बाद कहा कि शियोमी के पहले मेड इन इंडिया स्मार्टफोन को पेश करते हुये मुझे बेहद खुशी हो रही है। साथ ही शियोमी के 'मेक इन इंडिया' का भागीदार बनने में आंध्र प्रदेश का सहयोगी बनना हमारे लिए गर्व की बात है।

जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं को 6 गुणा अधिक राशि

भारत सरकार की ओर से जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मिलने वाली अनुदान सहायता में वर्ष 2014–15 के दौरान छह गुणा वृद्धि की गई है। यह अनुदान राशि वर्ष 2013–14 में 274.41 लाख रुपए थी जिसे वर्ष 2014–15 में बढ़ाकर 1641.00 लाख रुपए किया गया। वर्तमान वित्त वर्ष के पहले चार महीने के दौरान 464.37 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई थी।

जनजातीय कार्य मंत्रालय 'जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं के लिए अनुदान सहायता' संबंधी योजना को कार्यांवित करता है, ताकि उन्हें मूर्त और अमूर्त विरासत से जुड़े अनुसंधान और दस्तावेजीकरण तथा प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण आदि क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा सके। जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के क्रियाकलापों में ज्ञान और अनुसंधान के निकाय के रूप में कार्य करना, साक्ष्य आधारित नीति, आयोजना और विधान, क्षमता निर्माण, सूचना प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने आदि कार्यों में सहायता करना शामिल हैं। इस योजना के अधीन सहायता के लिए जिन प्रमुख क्रियाकलापों को चिह्नित किया गया है उनमें अनुसंधान और मूल्ध्यांकन अध्ययन, विचारगोष्ठी और कार्यशालाएं आयोजित करना, प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना, अमूर्त विरासतकलाओं तथा जनजातीय समुदायों के शिल्पों का दस्तावेजीकरण, जनजातीय संग्रहालयों को सशक्त करना, जनजातियों द्वारा उनसे संबंधित कार्यक्रमों में उन्हें शामिल करना, जनजातीय त्यौहारों का आयोजन करना, पारंपरिक जनजातीय खेलों को बढ़ावा देना शामिल हैं। इसके अलावा जनजातीय त्यौहारों के आयोजन का एक उद्देश्य जनजातीय समुदाय के उभरते लोक कलाकारों, खिलाड़ियों आदि की प्रतिभा को बढ़ाना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना भी है।

गेहूं की खरीद में वृद्धि

केंद्रीय पूल के लिए 2015–16 के रबी विपणन मौसम (आरएमएस) के दौरान 280.88 लाख मीट्रीक टन गेहूं की सरकारी खरीदारी की गयी है जबकि आरएमएस 2014–15 के दौरान गेहूं की खरीद केवल 280.23 लाख मीट्रिक टन थी। इस प्रकार, इस वर्ष में गेहूं की खरीद ने पिछले साल की खरीद को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि सरकार ने

आरएमएस 2015–16 के लिए प्रति क्विंटल गेहूं की खरीद के लिए 1450 रूपये की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की थी और विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से किसानों को उसका भुगतान किया गया है।

किसानों को उनकी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकार दोनों के आपसी विचार–विमर्श के बाद सरकारी एजेंसियों ने खरीद संभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोले हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में किसानों को जागरूक करने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूनतम समर्थन मूल्य के बैनर, पर्चे और घोषणाओं जैसे विज्ञापनों के माध्यम से जानकारी दी जाती है।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राशि 25 हजार से 50 हजार रुपये कर दी गई

पुरस्कृत शिक्षकों को दी जाने वाली 25 हजार रुपये की पुरस्कार राशि पुरस्कार वर्ष 2014 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है। पुरस्कार राशि में पिछला संशोधन 1999 में हुआ था और इसके अंतर्गत पुरस्कार राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये की गई थी। पुरस्कार वर्ष 2014 से पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र, अंकित नाम के साथ 40 ग्राम का रजत पदक और 50 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय परम्परागत रूप से चल रहे स्कूलों के संस्कृत तथा उर्दू–फारसी शिक्षकों सहित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चलाता है। इसके अंतर्गत देशभर मे (प्राथमिक और माध्यमिक तथा विशेष श्रेणी) के मेधावी शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष पुरस्कृत किया जाता है। अब तक प्रत्येक पुरस्कार विजेता शिक्षक को एक प्रणामपत्र, नाम अंकित 40 ग्राम का रजत पदक और 25 हजार रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता था। प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस 5 सितंबर को यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक विद्यालयों के मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक रूप से मान्यता देने के लिए दिया जाता है।

वापिस हुई अंबेडकर पर लिखी किताब

गुजरात सरकार ने संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. अंबेडकर पर लिखी उस किताब को वापस ले लिया है, जिसमें कथित तौर पर हिंदू विरोधी कंटेंट था। यह किताब क्लास 6 से 8 तक के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाई जानी थी।

यह किताब डॉ अंबेडकर की 125वीं सालगिरह पर स्कूलों में बांटी गई थी। सरकार ने इसे उस वक्त वापस लेने का फैसला किया, जब उसे पता चला कि पब्लिशर ने इसमें अंबेडकर की उन '22 कसमों' को भी शामिल किया है, जो उन्होंने 1956 में बड़े पैमाने पर हुए धर्मांतरण के दौरान कही थीं। इस धर्मांतरण में उनके हजारों समर्थकों ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। 15 अक्टूबर 1956 को नागपुर में हुए इस धर्मांतरण कार्यक्रम में अंबेडकर ने 22 कसमों का जिक्र किया था। इनमें अंबेडकर ने कहा था

कि हिंदू धर्म 'असमानता पर आधारित' है। उन्होंने हिंदू रीति रिवाजों की आलोचना भी की थी।

एयरटेल ने देश भर में शुरू की 4जी सेवाएं

भारती एयरटेल देशभर में चौथी पीढ़ी (4जी) मोबाइल सेवाओं की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बन गई है। कंपनी ने बाजार परीक्षण के बाद देश भर में 296 शहरों में वाणिज्यिक तौर पर 4जी सेवाओं की शुरुआत की। इस क्षेत्र में रिलायंस जियो के उतरने की भी बाजार इंतजार कर रहा है।

बिक्री के लिहाज से देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी ने 296 शहरों में सुपरफास्ट 4जी डेटा पैक की पेशकश की है। कंपनी का इरादा 4,000 रुपये तक की सस्ती कीमत वाले स्मार्टफोन बेचने का भी है।

एयरटेल ने एक बयान में कहा कि ग्राहक फिलहाल 3जी डेटा के मूल्य पर ही 4जी सेवा का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें शुरुआत पैक 25 रुपये का है।

झारखंड की धरती में दबा है एक लाख टन सोना

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के वैज्ञानिकों का दावा है कि झारखंड में रांची के पास तमाड़ में जमीन के नीचे करीब एक लाख टन सोना दबा हुआ है। वैज्ञानिकों की मानें तो यह सोचा उच्चतम गुणवत्ता का है। इस संभावना पर सरकार अब काम करने की योजना बना रही है। जीएसआई ने झारखंड में पांच जगहों पर सोने के भंडार का पता लगाया है। इनमें से तीन भंडार तमाड़ में और दो जमशेदपुर में हैं।

जीएसआई के उप–महानिदेशक ने बताया कि भूतत्व सर्वेक्षण विभाग इस इलाके में पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा है और परसा गांव के पास मिले सोने की रिपोर्ट सरकार को भेज चुका है।

2018 तक भारत में होंगे 4.37 लाख करोड़पति

आने वाला दशक भारत की आर्थिक प्रगति का गवाह होगा। वर्ष 2018 तक देश में करोड़पतियों की संख्या 4.37 लाख से भी ज्यादा होगी। यही

नहीं, वर्ष 2023 तक ये संख्या इससे भी दोगुनी हो चुकी होगी। ये बात सामने आई है वेल्थ–एक्स नाम की संस्था की ओर से किए गए एक हालिया अध्ययन से। 'संपत्ति के दशकः संपत्ति और विलासिता के अगले 10 साल' नामक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में अमीरों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में दस लाख डॉलर से अधिक संपत्ति वालों की संख्या 27 प्रतिशत बढ़कर 2 लाख 50 हजार हो गई। यह संख्या वर्ष 2013 में 96 हजार ही थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि आने वाले दिनों में भारत में नए अमीरों की गिनती तेजी से बढ़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार यहां उद्यमशीलता और कारोबार के मालिकों का स्तर काफी ऊंचा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका जैसे बाजारों में आने वाले दशक में करोड़पतियों की तादाद में बढ़ोतरी होगी।

किसानों को मिल सकती है 50% डीजल सब्सिडी

सरकार बारिश की कमी वाले क्षेत्रों के किसानों को डीजल पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। डीजल सब्सिडी पर कृषि मंत्रालय का प्रस्ताव एजेंडा में है। समझा जाता है कि मंत्रालय ने मानसून के दौरान कम बारिश वाले क्षेत्रों में खरीफ फसलों के संरक्षण के लिए किसानों को 50 प्रतिशत डीजल सब्सिडी देने का प्रस्ताव किया है। डीजल सब्सिडी का बोझ केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से उठाया जाएगा।

रिलायंस लाईप पर 85 लाख रू. का जुर्माना

बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने रिलायंस लाइफ पर 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों समेत विभिन्न नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी पर यह जुर्माना लगाया गया है। इरडा के चेयरमैन टी.एस. विजयन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है, 'जीवन बीमा कंपनी शेयर धारकों के खातों से लेकर 85 लाख रुपये का जुर्माना आदेश जारी होने के 15 दिन के भीतर देगी।' इरडा ने आउटसोर्सिंग दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर प्रीमियर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड (पीटीपीएल) को भुगतान करने के लिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

पीटीपीएल ग्राहक संपर्क कार्यक्रम से जुड़ी थी। इसके लिए उसे ऊंची वाणिज्यिक शर्तों पर 500 रुपये प्रति पालिसी का भुगतान किया जा रहा था। जुर्माना वित्त वर्ष 2011–12, 2012–13 तथा 2013–14 के लिये लगाया गया है। आदेश दस्तावेज के अनुसार आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश के उल्लंघन को लेकर सीआरपी टेक्नोलाजीज को अत्यधिक भुगतान के लिये 20 लाख रुपये तथा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी की खिंचाई करते हुए इरडा ने कहा कि बीमा कंपनी के निदेशक मंडल के पास नियामकीय पालन के लिये पर्याप्त प्रणाली नहीं हैं। ❑❑

जोधपुर विचार वर्गः *एक रिपोर्ट*

स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा इस बात की चिन्ता न करते हुए कि सरकार किस पार्टी की है, सदैव राष्ट्रहित के मुद्दों को उजागर करना ही चाहिए। यह भाव था, जोधपुर में संपन्न विचार वर्ग का। वर्तमान में मंच अपने कार्यों के द्वारा इस बात को सिद्ध भी कर रहा है। मंच द्वारा भूमि अधिग्रहण, जीएमक्रॉप्स, ईकॉमर्स में विदेशी कम्पनियों को खुली छूट जैसे मुद्दों पर मुखर रूप से आन्दोलन किये जा रहे है।

मंच के विभाग संयोजक अनिल वर्मा ने जानकारी दी कि स्वदेशी जागरण मंच के कार्यकर्ताओं का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जालोरी गेट स्थित ब्रह्मबाग मन्दिर में रविवार को आयोजित हुआ। इसमें विभिन्न विषयों पर जोधपुर महानगर, जोधपुर ग्रामीण एवं फलौदी क्षेत्र के मंच के दायित्वान कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।

मंच के प्रदेश के संयोजक भागीरथ चौधरी ने कहा कि मंच आर्थिक विषयों पर राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर कार्य कर रहा है। जो जंतर–मंतर पर हाल ही किये गये भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ 'जन संसद' से सरकार को भी बता चुका है कि राष्ट्रहित व जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जायेगी। पर्यावरण से लेकर जैविक खेती उन्नयन तक के विषयों को मंच के कार्यकर्ता घर–घर पहुंचा रहे है।

मंच के राष्ट्रीय सह सम्पर्क प्रमुख डॉ. रणजीत सिंह मंच के संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जो आज से कई वर्षों पहले विश्व व्यापार संघटन द्वारा किये जा रहे अर्न्तराष्ट्रीय समझौतों के कारण देश में लघु उद्योगों व गृह उद्योगों को नुकसान होगा व विदेशी बड़ी कंपनियों का जाल भारत की स्वदेशी परिवार आधारित आर्थिक तंत्र को तोड़ने में पूरा जोर लगा देगी, वह बात आज प्रत्यक्ष सत्य होती नजर आ रही है। ऐसे राष्ट्रऋषि के विचारों को पढना व समझना हमारे आर्थिक जगत आगे की दिशा तय करने के लिए बहुत जरूरी है।

प्रशिक्षण वर्ग में आर्थिक जीडीपी व अन्य मुद्दों पर कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए जेएनवीयू के प्रो. आर. सी.एस. राजपुरोहित ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की सातवीं प्रमुख अर्थव्यवस्था है जब अमरीका के कारण विश्व आर्थिक मंदी से गुजरा, तब भी भारतीय अर्थव्यवस्था अपने स्वदेशी प्रभावों के कारण इस विषम परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकल कर बाहर आई। उन्होनें यह भी कहा कि ऐसे राष्ट्र जिन पर हमारी स्वदेशी सभ्यता का प्रभाव रहा हैं, वे भी इस आर्थिक गुलामी के दौर से अपने आपको बचा सकेगें। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था उधार व गिरवी पर न चलकर मितव्यववता एवं बचत पर चलती है। जबकि पश्चिमी अर्थव्यवस्था उधार, अधिक लाभ व शोषण पर चलने वाली है। ऐसे में पश्चिमी अर्थव्यवस्था का अंधानुकरण हमारे विकास में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। जी.डी.पी. के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में कृषि, इंडस्ट्रीज व सेवा के कुल आर्थिक गतिविधियों के एक वर्ष का सकल योग है। 2014 में भारत की जीडीपी 2066 मिलियन डॉलर रही। पूरे विश्व की जीडीपी की ग्रोथ रेट 1.9 प्रतिशत रही है। भारत चीन की तुलना में बहुत वर्षों बाद अपनी जीडीपी को आगे ला सका है।

मंच के प्रदेश सह–संयोजक धर्मेन्द्र दुबे ने प्रोजेक्टर प्रजेन्टेशन के माध्यम से 'बौद्धिक संपदा अधिकार' विषय पर बोलते हुए विश्व व्यापार संघटन, विश्व बैंक, गैर समझौते, दोहा सम्मेलन आदि पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विश्व बैंक अपने निर्माण के समय जब सबसे पहला ऋण, जो कि 250 यूएस मिलियन डालर था, फ्रांस को दिया गया तो उन्होंने उस समय की सरकार के सहयोगियों को हटाने की शर्त पर दिया। तो ऐसे में भारत में चल रहे वर्ल्ड बैंक प्रायोजित 732 प्रोजेक्ट के लिए विभिन्न शर्तों को मानने के लिए विवश कर रहा है और आगे भी करेगा, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता।

डिजिटल इंडिया विषय पर जोधपुर के विश्व संवाद केन्द्र जोधपुर के प्रफुल मेहता ने डिजिटल लॉकर, ई–साईन, एनएसएस, ई–हॉस्पिटल, भारत नेट जैसे विषयों को विस्तार से समझाया। उन्होने यह पक्ष भी रखा कि आने वाला युग पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोनिक सूचनाओं के आदान प्रदान से परिपूर्ण तंत्र होगा।

विभाग सहसंयोजक महेश जांगिड़, विनोद मेहरा, अनिल कुमार वर्मा, निलेश तिवारी, महानगर संयोजक अनिल माहेश्वरी, फलौदी संयोजक प्रमोद पालीवाल, जिला सह–संयोजक मनोहर सिंह चारण ने भी अपने विचार व्यक्त किये। ❑❑